

अक्टूबर-दिसंबर, 2013
ISSN: 2321-0443

ज्ञान ग्रन्थालय सिंधु

अंक: 40



वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार

Commission for Scientific and Technical Terminology

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

Government of India



ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक - 40

अक्टूबर-दिसंबर 2013



वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

14 - 1A

© कापीराइट 2013

प्रकाशक :

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार, परिचमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता :

वैज्ञानिक अधिकारी,
विक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
नई दिल्ली-110 066
दूरभाष - (011) 26105211
फैक्स - (011) 26102632

विक्री स्थान :

प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स,
दिल्ली - 110 054

सदस्यता शुल्क :

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति अंक	₹. 14.00	पौंड 1.64 डॉलर 4.84
वार्षिक चंदा	₹. 50.00	पौंड 5.83 डॉलर 18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	₹. 8.00	पौंड 0.93 डॉलर 10.80
वार्षिक चंदा	₹. 30.00	पौंड 3.50 डॉलर 2.88

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

संपादन एवं समन्वय

प्रधान संपादक

प्रो. केशरी लाल वर्मा

अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादक

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल

सहायक निदेशक

प्रकाशन

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल

सहायक निदेशक

कर्मचारी

प्र. श्र. लि.

अक्टूबर-दिसंबर 2013 • अंक - 40

iii

अनुक्रम

अध्यक्ष की ओर से	v
संपादकीय	vii
आलेख शीर्षक	लेखक
1. समाज निर्माण, जातीय एकता और भीड़िया	राकेशरेणु 1
2. वैज्ञानिक उत्कर्ष की ओर गाँधी और गाँधीवाद की प्रासंगिकता	डॉ. दिनेश मणि 9
3. गाँधी और गाँधीवाद की प्रासंगिकता	डॉ. विनोद कुमार सिन्हा 15
4. वैश्वीकरण बनाम बहुसंस्कृतिवाद	डॉ. सरोज कुमार वर्मा 20
5. बाल संस्कार	प्रो. आर. पी. पाठक एवं 31
	डॉ. अमिता पांडेय भारद्वाज
6. कृषि-विज्ञान : ज्ञान का महत्वपूर्ण स्तंभ	कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान' 37
7. कश्मीर विलय : कुछ अनकहे- अनसुने प्रसंग	सतीशचंद्र सक्सेना 41
8. कैंसर	डॉ. के. ए. रामचंद्रन 46
9. मानव शरीर का संचालक मस्तिष्क और सेरेब्रल पाल्सी	सूर्यभान सिंह 53
विविध स्तंभ	
□ ज्ञान-चर्चा	62
□ इस अंक के लेखक	70
□ मानक शब्द-भंडार	71
□ लेखकों से अनुरोध	81
□ आयोग के कार्यक्रमों में सहयोगित होने के लिए प्रोफार्मा	84
□ पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक/अभिदान फार्म	85
□ हमारे प्रकाशन	86
□ बिक्री संबंधी नियम	95

अध्यक्ष की ओर से

हाल ही भारत ने अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा से आगे अंतर-उपग्रहीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। प्रायः एक वर्ष की यात्रा के उपरांत इसके मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने की उम्मीद है। अगले साल के आरंभ से ही भारत क्रायोजेनिक ईंधन वाले शक्तिशाली रॉकेट प्रक्षेपित करने का प्रयास पुनः आरंभ कर देगा। बीस वर्षों की साधना के बाद भारत का यह तीसरा प्रयास जरूर सफल होगा, ऐसी कामना है।

हम जितनी तेजी से ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से नित नवीन शब्द, शब्दावलियाँ प्रयोग में आ रही हैं। इनमें से ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में हैं। भारतीय भाषाओं में उनके मानकीकृत शब्द-निर्माण का दायित्व हमेशा हमारे सामने है। साथ में पहले से निर्मित ज्ञान-विज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं के शब्दों को प्रचलन में लाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का गुरुतर दायित्व तो है ही।


वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शब्द-निर्माण, शोधन से लेकर उन्हें लोकप्रिय बनाने, प्रचलन को प्रोत्साहित करने का कार्य अपने स्थापना काल से ही करता चला आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग देशभर में अलग-अलग संस्थानों, यथा-शोधसंस्थानों, उपक्रमों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन करता रहता है। अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोग दो त्रैमासिक पत्रिकाओं – *ज्ञान गरिमा सिंधु* और *विज्ञान गरिमा सिंधु* का प्रकाशन भी करता है। इनके अलावा हिंदी में मौलिक लेखन

v

को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग विभिन्न वेष्यों पर पाठमालाएँ, पाठसंग्रह, और पारिभाषिक शब्द-संग्रह भी प्रकाशित करता है।

आयोग की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयक पत्रिका *ज्ञान गरिमा सिंधु* का 40वाँ अंक आपको सौंपते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। संपादक डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल के अथक प्रयास और आप सुधी लेखकों-विद्वानों के सहयोग से पत्रिका नियमित और समयबद्ध रूप से प्रकाशित हो रही है।

आशा है, भविष्य में भी आयोग को आप सब सुधी विद्वानों, लेखकों, पाठकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले अध्यापकों, शोधार्थियों, और छात्र-छात्राओं का सहयोग मिलता रहेगा।


(प्रो. केशरी लाल वर्मा)

अक्टूबर, 2013

अध्यक्ष

संपादकीय

आधुनिक भारत की दृष्टि और दिशा तय करने में जिन कुछ राष्ट्र निर्माताओं का योगदान महत्वपूर्ण है उनमें महात्मा गांधी का नाम संभवतः सबसे पहले लिया जाएगा। राष्ट्रपिता के जन्मदिवस के मौके पर निकलने वाले इस अंक में हमने उनकी दृष्टि के अलग-अलग पक्षों को रखने वाले दो लेख शामिल किए हैं। अंक के पहले 'समाज निर्माण, जातीय एकता और मीडिया' शीर्षक लेख में श्री राकेशरेणु गांधी के प्रायः अचर्चित पहलू पत्रकारिता की चर्चा करते हैं और गांधी के हवाले से आज की पत्रकारिता और मीडिया का समाज निर्माण और जातीय एकता में योगदान का मूल्यांकन करते हैं। वहीं दूसरी ओर 'गांधी और गांधीवाद की प्रासंगिकता' शीर्षक अपने आलेख में डॉ. विनोद कुमार सिन्हा महात्मा गांधी के समकालीनों से उनकी तुलना करते हुए उनके समकालीन विचारकों— डॉ. रवींद्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, रोमां रोला, सुभाष चंद्र बोस आदि से तुलना करते हुए गांधी के सत्य आधारित नैतिकमूल्यों को स्थापित करते हैं। किंतु, साथ ही वह आज के परिप्रेक्ष्य में उन मूल्यों के क्रमशः रहित होते जाने और भोग तथा लिप्सा जनित अवमूल्यन को भी रेखांकित करते हैं।

दुनिया भर में पिछले प्रायः ढाई दर्शकों के दौरान विमर्श का केंद्रीय विषय वैश्वीकरण रहा है। हमारे समय में वैश्वीकरण की आर्थिक तथा भौतिक नजरिये से व्याख्या की गई है। किंतु डॉ. सरोज कुमार वर्मा 'वैश्वीकरण तथा बहुसंस्कृतिवाद' शीर्षक अपने आलेख में दोनों शब्दों के दार्शनिक पहलुओं की व्याख्या करते हुए उनके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं। जबकि डॉ. दिनेश मणि अपने आलेख

vii

'वैज्ञानिक उत्कर्ष की ओर' में वैज्ञानिक दृष्टि की उपादेयता और व्यक्ति तथा समाज के विकास में उसकी जरूरत को रेखांकित करते हैं। साथ ही आज के तकनीक आधारित समाज में व्यक्तिगत स्तर पर वैज्ञानिक शोधों के स्थान पर सांस्थानिक शोधों को वरीयता देते हैं ताकि अनुसंधान के लिए जरूरी खर्च की विंता वैज्ञानिकों को न करनी पड़े और वह अपना सर्वोत्तम योगदान देश को दे पाएं।

इस प्रकार के अनेक लेख इस अंक में शामिल हैं। किंतु, जिन दो लेखों की चर्चा किए वर्गेर बात पूरी नहीं की जा सकती वे हैं— क्रमशः डॉ. ए. के. रामचंद्रन द्वारा लिखित 'कैंसर' शीर्षक आलेख तथा श्री सूर्यमान सिंह कृत 'मानव शरीर का संचालक मस्तिष्क और सेरेब्रल पाल्सी' शीर्षक आलेख। रसायन को समर्पित 'कैंसर' शीर्षक लेख जहाँ बहुश्रुत बीमारी कैंसर के कारण, लक्षण, निदान और उपचार को समर्पित है, वहीं दूसरा आलेख तुलनात्मक रूप से अल्प श्रुत बीमारी सेरेब्रल पाल्सी के कारण, लक्षण, निदान और उपचार को अवगत कराता है।

आशा है कि पाठक इन आलेखों को उपयोगी पाएंगे। साथ में सभी स्थायी स्तंभ तो हैं ही। अंक, आपको कैसा लगा कृपया हमें अवगत कराना न भूलें।

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
संपादक

समाज निर्माण, जातीय एकता और मीडिया

राकेशरेणु

मानवता के मूल में मनुष्य है। वही मनुष्य समाज के मूल में है और वही अधिकारों के मूल में भी है। मार्क्स कहते हैं कि 'मैन इज द रूट ऑफ मैनकाइंड'। इसी तरह विज्ञान जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। दर्शन भी इसी दृष्टि का हासी है। इसीलिए किसी भी समाज और सामाजिक व्यवस्था का अभिप्रेत अपनी इस मूल इकाई का मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक-सामाजिक उत्कर्ष सुनिश्चित करना होता है और इसलिए साहित्य, पत्रकारिता और मीडिया के लक्ष्य उससे अलग नहीं हो सकते।

अपने परिवेश, परिवार, समाज और संस्कृति की रचना मनुष्य स्वयं करता है। यह उसका दायित्व भी है और अभीष्ट भी। हजारों साल के मानव इतिहास में विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हजारहाँ अलहदा भाषाएँ, संस्कृतियाँ और जातीय अस्मिताएँ विकसित हुईं। मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों के अनुसार इन संस्कृतियों की संख्या दुनियाभर में 5,000 से 10,000 के बीच कहीं हो सकती है। इन संस्कृतियों में दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान, कलाएँ, भाषाएँ और उपलब्धियाँ संग्रहीत हैं। साथ ही संस्कृतियों की इस बहुलता की बदौलत हम

1

जानते हैं कि जीवों में सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य समरूप और एकभाषी कर्तर्द्द नहीं है। उसमें विविधताएँ हैं, प्रचुर विविधताएँ हैं। स्वयं हमारा देश इन जातीय, सांस्कृतिक और भाषायी विविधताओं का पालना है। हम इस बात को लेकर गर्व करते हैं कि हमने इन विविधताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें एकता के सूत्र में बाँधे रखा है। आजाद हिंदुस्तान में इस सूत्र को मजबूत करने का काम हमारे संविधान ने किया है जो भारत में पल-बढ़ रही विविध संस्कृतियों को स्वीकार करते हुए हमें एक नवीन जातीय पहचान देती है— भारतीयता की पहचान। इस संवैधानिक जातीयता का मकसद परंपरा से पोषित भाषिक, सांस्कृतिक, आंचलिक संस्कृति और जैविक जातीयता को विनष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाना, पुष्टि-पल्लवित होने के अवसर देना, साथ ही विशृंखल होने से बचाकर एक सूत्र में पिरोए रखना है। स्वतंत्र भारत में संविधान के इस लक्ष्य का निर्वाह प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का दायित्व होना चाहिए और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मीडिया इससे इतर नहीं, समाज के बीच, व्यावसायिक किंतु, ऐसी ही एक सामाजिक व्यवस्था है। इस तरह मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वह क्षेत्रीय घटनाओं में राष्ट्रीयता के सूत्र ढूँढे और राष्ट्रीय खबरों से आंचलिकता के तत्व भी पुष्ट करे और इस तरह भारतीयता की भावना को अधिकाधिक मजबूत करे। लेकिन क्या मीडिया ऐसा कर पा रही है? क्या आज के पत्रकारों की तैयारी ऐसी है जो उन्हें इस समावेशी दृष्टि से संपन्न बनाए?

जब मैं इस तरह के सवालों से रु-ब-रु होता हूँ तो मुझे बार-बार गाँधी का, उनकी पत्रकारी दृष्टि का स्मरण हो आता है। हम जानते हैं कि गाँधी राजनीतिक प्रयोजनों से देशभर की यात्रा करते रहते थे। वह जहाँ-जहाँ जाते, पत्रकार की पैनी दृष्टि के साथ घटनाओं, चीजों का मूल्यांकन करते रहते। एक बार वह उत्तर प्रदेश के किसी स्टेशन से गुजर रहे थे। स्टेशन पर उन्होंने आवाज लगाते सुना— हिंदू चाय,

मुसलमान चाय। हिंदू पानी, मुसलमान पानी। एक सप्ताह बाद उन्होंने अपने अखबार 'यंग इंडिया' में इस पर टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि रेलगाड़ी में तो सब एक साथ बैठते हैं, फिर चाय और पानी को लेकर भेदभाव क्यों? उन्होंने लिखा कि हमें जात-पात, धर्म-संप्रदाय के भेद मिटाने होंगे। गाँधी जी ने लिखा कि रेलगाड़ी तो सबसे जोड़ती है, मिलाती है। एक साथ मिल-बैठने, बात करने, भोजन करने का मौका देती है। फिर चाय, पानी को लेकर यह भेदभाव क्यों? इस तरह एक छोटी सी आंचलिक घटना को महात्मा ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान कर दिया।

गाँधी की पत्रकारिता की इस कसौटी पर अगर हम आज के पत्रकार और पत्रकारिता को कसें तो क्या पाते हैं? क्या वे आंचलिकता से राष्ट्रीयता को, भाषिक, सांस्कृतिक और जातीय एकता को मजबूत कर रहे हैं? आइए 'विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार' होने का दावा करने वाले 'दैनिक जागरण' के 6 सितंबर, 2013 के नई दिल्ली संस्करण से इसका एक फौरी मूल्यांकन करे (तिथि यह पर्वा लिखे जाने की तारीख इंगित करती है, यानि कि आकस्मिक चयन है; सोच समझ कर किए गए किसी दिन विशेष का चुनाव नहीं)। परिशिष्ट सहित 28 पृष्ठों के इस अखबार में प्रायः 18 पृष्ठ विज्ञापन के हैं। समूचे अखबार में गाँव, किसान, मजदूर, दलितों से जुड़ी एक भी खबर शामिल नहीं है। पहले पन्ने पर पहली खबर ओलंपिक संघ के हवाले से खेल प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी वजह से उत्पन्न भारतीय खिलाड़ियों के ओलंपिक से बाहर रहने की आशंका को समर्पित है। बाकी खबरें बाजार, व्यापार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति और देश-विदेश की घटनाओं के बारे में हैं। अखबार के इस संस्करण में तीन पृष्ठ उत्तर प्रदेश को समर्पित हैं। लेकिन उनमें छपी एक भी खबर में प्रदेश की आंचलिक संवेदना महसूस नहीं की जा सकती। सभी खबरें, जैसाकि पहले कहा

3

गया है, या तो राजनीति, भ्रष्टाचार, दुराचार, और आपराधिक घटनाओं के बारे में हैं अथवा ऐसी फंतासी की रचना करती है जो पाठकों का किंचित मनोरंजन तो करें किंतु 'खबर' की कसौटी पर खरा नहीं उतरती। पहले पन्ने पर छपी एक खबर का शीर्षक है— 'रघुराम की धुन पर बाजार हुआ मस्त'। यहाँ रघुराम, जैसाकि हम जानते हैं, रिजर्व बैंक के नए प्रमुख का पहला या मूल नाम है। यह खबर यह स्थापना देती प्रतीत होती है कि नए गवर्नर के आते ही बाजार यानी शेयर बाजार की स्थिति और प्रकारांतर से अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जाएगी। पाठ के बीच अनकहा कथन यह भी छुपा है कि सेवानिवृत्त होने वाले गवर्नर की वजह से ही बाजार में कमज़ोरी व्याप्त थी। अखबार इस धारणा को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करता कि किसी व्यक्ति के पदग्रहण करने मात्र से अर्थव्यवस्था में बदलाव आने की धारणा आधारहीन और बेमानी है। बदलाव नीतियों, कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन से आते हैं न कि प्रभारी के बदलने से। दूसरे, अखबार यह धारणा तोड़ने का भी प्रयास नहीं करता कि शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था की मजबूती मापने का पैमाना कर्तई नहीं हो सकता, इसका संवेदनशील सूचकांक दुनियाभर में घटी घटना अथवा उसकी संभावना मात्र से प्रभावित होता है, घटता-बढ़ता रहता है। अनेक मर्तबा निवेशकों की अचानक मुनाफा वसूली की प्रवृत्ति भी इसके उतार-चढ़ाव का कारक बनती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के स्तंभों की मजबूती या कमज़ोरी का द्योतक यह कर्तई नहीं हो सकता। तीसरे, अखबार यह भी रेखांकित नहीं करता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम मौद्रिक प्रबंधन करना है, न कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। समूचे देश की अर्थव्यवस्था का दायरा काफी व्यापक है और उसका प्रबंधन काफी जटिल। उसको दिशा देने का मुख्य दायित्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय का है। लेकिन केवल वही यह काम करता हो यह सही नहीं है। अनेक अन्य मंत्रालय, केंद्र के, राज्य

4

सरकारों के, निजी और सार्वजनिक उत्पादन इकाइयाँ आदि सबका इस महती कार्य में प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदान है।

इस तरह की स्थिति हिंदी के अधिकतर अखबारों की है। खबरों के साथ अखबार ऐसी जरूरी जानकारियाँ बखूबी दे सकते हैं। लेकिन वे अनेक अन्य कारणों से ऐसा करते नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण तो हिंदी के अधिसंख्य पत्रकारों की विषय की अपनी समझ से जुड़ी है। वे अपने पाठकों के इर्दगर्द खबरों के जरिए एक किस्म की फंतासी रचकर बस उन्हें मस्त-मस्त रखना चाहते हैं। इसलिए वे यह रेखांकित नहीं करते कि रिजर्व बैंक के निर्णयों से बैंक, वित्तीय संस्थान, सीमित मात्रा में शेयर सूचकांक और रुपये का मूल्य प्रभावित होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का बाहरी, इसलिए प्रकट और छोटा, अंग है। इस तरह टुकड़ों में परिघटित होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं का क्या राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय महत्व है, यह बताने में अखबार सफल नहीं हो पाते। न ही वे राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों के स्थानीय या आंचलिक प्रभाव और संदर्भ को रेखांकित कर पाते हैं। अब ऐसी पत्रकारिता से सोचिए, किस अंचल, समाज और देश का भला होगा? कैसे अंचल देश को और देश आंचलिक समाजों को मजबूत करेगा?

समग्रता में देखें तो सर्वाधिक चिंताजनक बात, जो उभरकर सामने आती है वह यह कि हमारी मीडिया—प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों—आम पाठक या आम आदमी के पक्ष में खड़ी नहीं दिखाई देती। फिर वह किसके पक्ष में है? वह खड़ी है बाजार के पक्ष में, खरीदार के पक्ष में, जिसकी जेब भरी है, जो उपभोक्ता है, अथवा वह खड़ी है उत्पादक, विक्रेता और उनके बिचौलियों-आढ़तियों के पक्ष में। तथा अखबार के पन्नों और प्रसारित खबरों में विज्ञापन का बोलबाला है, वे खबरों के माथे के मुकुट के मानिंद सजाए जाते हैं। उन्हें तैयार

5

करने में अत्यधिक ऊर्जा और धन खर्च किया जाता है। वे आपके घरों में एक उत्पाद की जानकारी मात्र लेकर नहीं प्रवेश करते, पूरी जीवनशैली लेकर आते हैं जो परंपरा और अर्जित ज्ञान से हासिल मूल्यों और जीवनशैली को नाकाफी और गैरजरूरी करार देता है। वे हमारे दिलोदिमाग में घर कर जाने की, बस जाने की चेष्टा करते हैं। अब अगर आपके पास विवेक है तो आप उसे अप्रासंगिक या बेजा हस्तक्षेप मानें, अगर विवेक या तार्किक समझ कम और जेब में पैसे अधिक हैं तो वह जीवनशैली घर ले आएँ जो माता-पिता तुल्य पुरानी शैली को अवांछित करार दे और अगर ये दोनों न हों तो कर्ज लें, उधारी करें और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर भौतिक इच्छा पूरी करें। और अगर यह भी न कर पाएँ तो अपने भीतर इस बात को लेकर एक बेचैनी, छटपटाहट और नैराश्य भरने दें कि आप जीवन को गुलाबी बनाने वाले उत्पादों से वंचित हैं। आज से लगभग ढाई दशक पहले प्रकाशित पंकज बिष्ट की कहानी 'बच्चे गवाह नहीं हो सकते' आप में से कइयों ने पढ़ी होगी। निम्न-मध्यवर्गीय घरों में बाजार और विज्ञापन के प्रभाव को लेकर जब यह कहानी लिखी गई थी तबतक बाजारवाद ने हमें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिया भी न था। तो, उनके आधार पर आज के व्यक्ति और समाज पर इनके प्रभाव का अंदाजा सहज ही जगाया जा सकता है। दुख होता है कहते हुए कि यह प्रभाव उत्पन्न करने के औजार हैं आज का मीडिया, अखबार, टीवी चैनल।

कहना यह चाहता हूँ कि गाँधी और गाँधीयुग की पत्रकारिता का बार-बार स्मरण करने के बावजूद इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वह आज से प्रायः एक सदी पहले की पत्रकारिता थी जिसका आखिरी चरण अब से सात से आठ दशक पहले समाप्त हो गया। पत्रकारिता तब एक मिशन थी। मिशनरी पत्रकारिता के बाद के दशकों में पत्रकारिता की दरिया में कई सैलाब आए, कई तटबंध टूटे, तटों का

स्वरूप बदला-बिगड़ा और आज जहाँ पत्रकारिता खड़ी है वहाँ से उसके पुराने मिशन को, उसके अंतिम लक्ष्य आम पाठक, आम आदमी के कल्याण या उनकी अधिकारिता के लक्ष्य को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है।

आज का पत्रकार, आज का मीडियाकर्मी मुख्य रूप से करियरिस्ट है, आज मीडियाकर्म या तो व्यवसाय है या नौकरी। साथ ही आज के समाज की चुनौतियाँ और तकनीकियाँ बढ़ी हैं। मीडियाकर्मी से अपेक्षा की जाती है कि वे इनकी गहरी और सूक्ष्म जानकारी रखें। लेकिन क्या ऐसी जानकारी, चुनौतियों से निबटने की तैयारी और घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य देने की समझदारी हमारे मीडियाकर्मियों में है? अंग्रेजी के एक वरिष्ठ पत्रकार और अब मीडिया शिक्षक वी. गंगाधर अपना अनुभव बताते हुए लिखते हैं— एक प्रश्न के उत्तर में मीडिया स्नातक के अधिकांश छात्रों ने कोफी अन्नान को श्रीलंका का एक व्यंजन बताया। एक दूसरे बैच के अधिकांश छात्रों ने कोसर की किताबों के अलावा और कोई किताब नहीं पढ़ी थी। वह रेखांकित करते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में अपना कैरियर या रोजगार चाहने वाले अधिकांश लोगों की तैयारी पूरी नहीं होती। इसलिए वह भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मारकंडेय काटजू की इस मांग का समर्थन करते हैं कि अन्य क्षेत्रों की तरह पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बनाने वालों के लिए न्यूनतम योग्यता या प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए जिससे यह परखा जा सके कि कोई व्यक्ति पत्रकारिता को अपना कैरियर बनाने के लिए तैयार है या नहीं। खबरों और घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने तथा बेजा 'हाइप' रचने और भावुकता के बजाय तर्क और विवेक से काम लेने के लिए यह बहुत जरूरी है। आज के समय में यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज की मीडिया का स्वरूप पहले की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी है, पूर्व की भाँति इकहरा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ— पहले की पत्रकारिता को इकहरा

7

और आज की पत्रकारिता को जटिल— क्योंकि पहले प्रिंट पत्रकारिता के दौर में 'लाइव रिपोर्टिंग' नहीं होती थी, इसलिए संवाददाता की खबर अलग-अलग कई डेस्कों और अनुभवी संपादकों की नजर से गुजरती थी। उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर होता था। आज चौबीस घंटे समाचार के दौर में यह सहूलियत नहीं है। इसलिए अगर रिपोर्टर की तैयारी पूरी नहीं है तो बलात्कार या छेड़छाड़ की शिकार लड़की से पूछा जाता रहेगा कि 'उस वक्त आपको कैसा लगा' या 'अमिताभ बच्चन ने खिचड़ी खाई' जैसी खबरें असंपादित, लाइव प्रसारित होती रहेंगी। इसलिए छोटे-छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर जस्टिस काटजू के प्रस्ताव से सहमत होने की सख्त जरूरत है। इससे न केवल पत्रकारिता का भला होगा, बल्कि बृहत्तर भारतीय समाज का भला होगा जिन्हें समुचित खबरों और उनके सही विश्लेषण की अपेक्षा होती है। उन्हें वे खबरें मिल पाएंगी जो उनसे जुड़ी हैं और उनकी बेहतरी के लिए जरूरी है। वे खबरें नहीं जो बाजार, व्यापार और मालिकान की बेहतरी के समर्पित होती हैं और तभी आज की और भविष्य की मीडिया हमारी भारतीयता की, भारतीय एकता की रक्षा कर पाएगी, समाज निर्माण में अपना उचित, अपेक्षित योगदान कर पाएगी।

वैज्ञानिक उत्कर्ष की ओर

डॉ. दिनेश मणि

सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य का यह प्रयत्न रहा है कि वह अपने चारों ओर की वस्तुओं को समझे और उनसे लाभ उठाएँ। जैसे-जैसे उसे नए अनुभव होते गए उसका ज्ञान बढ़ता गया। प्रकृति की नवीन और बड़ी वस्तुओं से परिचय होने से ही मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार प्रयोग, विधान जाँच-पड़ताल से अपना ज्ञान बढ़ाना ही विज्ञान का मूल कारण हुआ। आज विज्ञान लोगों के जीवन में इस कदर समा चुका है कि संपूर्ण दुनिया विज्ञान से प्रभावित जान पड़ती है।

कुछ वर्ष पूर्व लोगों के पास सुकून से बैठकर विचार करने का समय होता था। यद्यपि कुछ लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठाते थे। किंतु आज स्थिति यह है कि चाहते हुए भी रुककर विचार करने का समय किसी के पास नहीं है। इस भागते जीवन में हम विज्ञान को साधारण रूप से समझने में भी असमर्थ हैं। विज्ञान को समझने में आम लोगों की कोई उत्सुकता नहीं दिखती।

विज्ञान की प्रगति के पीछे उद्देश्य नेक और भविष्य उज्ज्वल है। अधिकांश वैज्ञानिक खोजें व्यावहारिक उपयोग की होती हैं। इनका प्रयोग मानव जीवन में सुधार लाने या उसे नष्ट करने, दोनों उद्देश्य से किया जा सकता है। विज्ञान स्वयं इन दोनों में से किसी

9

भी ओर जाने हेतु प्रेरित नहीं करता। विज्ञान द्वारा दी गई सौगातों का दुर्लपयोग औद्योगिक घरानों का पेशा है।

जिस प्रकार सामान्य ज्ञान सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होता है उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह ज्ञान अनुसंधान, जाँच आदि के द्वारा उत्पन्न, परिपक्व होता है। प्रारंभ में वैज्ञानिक ज्ञान विभिन्न प्राकृतिक मानकों को आधार प्रदान करने के लिए उत्पन्न किया जाता था और फिर यह इन घटनाओं के गणितीय व अन्य सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। इन सिद्धांतों को लगातार तर्क व प्रयोगों की कसौटी पर कसा गया और यह प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती रही। धीरे-धीरे विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित सिद्धांतों को आपस में संरलेषित किया गया। उनसे नए सिद्धांत तैयार हुए और नई क्रियाएँ भी संपन्न हुईं।

वैज्ञानिक ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किए जाने वाले प्रयोगों के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक इस ज्ञान को पाने के लिए एक निश्चित वैज्ञानिक पदधारि का प्रयोग करते हैं। यह ज्ञान कई बार तो स्पष्टतः समझ में आता है, किंतु कई बार इसे समझने के लिए अन्य उपादानों का सहारा लिया जाता है। ऐसे में कुछ मान्यताओं का भी सहारा लिया जाता है। कई बार विशुद्ध सिद्धांत ही उभर आते हैं, जिनका सत्यापन बाद में किया जाता है।

वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकनों से प्रारंभ होता है, वैज्ञानिक तरह-तरह के प्रयोग व अन्य गतिविधियाँ करते हैं। उनसे ज्ञान का प्रसार होता है तथा उत्पत्ति भी होती है। अनेक बार वैज्ञानिक अनोखी पहेलियों में उलझ जाते हैं और उसे हल करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग व अन्य उपाय करते हैं। इस संदर्भ में नए-नए तथ्य उभरकर आते हैं। कई बार वैज्ञानिक परिकल्पनाएँ करते हैं और फिर उनका सत्यापन तमाम प्रयोगों द्वारा करते हैं। इस क्रम में ज्ञान उत्पन्न होता जाता है।

कई बार यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और कई बार सीधे ही परिणाम सामने आ जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक जब कोई तथ्य सामने रखते हैं तो उस पर अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। इन प्रश्नों व इनके उत्तरों से भी ज्ञान उत्पन्न होता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान में दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहली यह कि नई बात उभरनी चाहिए और दूसरी यह कि यह व्यापक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि एक प्रयोग दो अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा उसी तरह किया जाए तो परिणाम एक-सा ही आना चाहिए।

वैज्ञानिक केवल सिद्धांत ही नहीं गढ़ते वरन् मॉडल भी प्रस्तुत करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की समझ भी प्रस्तुत करते हैं। इनकी तरह-तरह से जाँच होती है, कई बार उल्टी जाँच भी की जाती है।

आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान में संभाव्यता की गणना भी की जाती है। घटना के घटने की कितनी संभावना है, यह गणना रूप से की जाती है। इसके आधार पर भी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अनेक प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए भी संभाव्यता की गणना की जाती है।

प्रारंभ में वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता था। व्यक्ति अपने विचार सबके सामने रखता था। यह काम अत्यंत कम कीमत पर होता था। कई बार व्यक्ति की मात्र लगन ही पूँजी होती थी। परंतु बाद में अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक संगठनों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया में अनुसंधान का खर्च बढ़ गया। इसका स्वरूप भी आधुनिक हो गया। साथ में परिणाम का व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला गया। वह ज्ञान जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सके, तकनीकी ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान नए विचारों से उत्पन्न होता है और विभिन्न विचारों के नए संयोग से नई तकनीकी संभावनाओं पर प्रकाश डालता है, यह विभिन्न इंजीनियरिंग मान्यताओं

11

से भी जुड़ा होता है तथा तरह-तरह के अवलोकनों से उत्पन्न होता है।

इस समय भारत में 82 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक, रक्षा, राज्य, निजी एवं गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत लगभग 2000 संस्थाएँ हैं। भारत के पास लगभग चार लाख वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी जनशक्ति है किंतु दुर्भाग्य से सीमित अवधि में परियोजना संकल्पना के बीच उचित तारतम्य न होने, विकसित की गई प्रौद्योगिकियों की अल्प व्यापारिक योग्यता और राज्यों द्वारा संचालित प्रयोगशालाओं और उद्योगों के अपर्याप्त पारस्परिक संवाद के कारण हमारे देशज अनुसंधान एवं विकास का उपयुक्त रूप से उद्योगों में प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

देश में उपलब्ध विपुल मानव प्रतिभा एवं प्राकृतिक संसाधन निकट भविष्य में भारत को विकास, बाह्य संसाधनों के दोहन और उत्पादन का एक लाभप्रद केन्द्र बना देगा। 21वीं सदी में ज्ञान और कौशल, विकास के उत्प्रेरक होंगे। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण एवं उत्पादन क्षेत्रों में आई चुनौतियों का सामना नई नीतियों से करना होगा।

भारत सरकार की नवीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, 2003 की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

1. हमारे पारंपरिक ज्ञान के साथ नवीनतम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को प्रयुक्त करते हुए राष्ट्र के प्रत्यक्ष व सतत विकास हेतु प्रयत्न करना,
2. विभिन्न विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक व इंजीनियरी संस्थानों इत्यादि में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना,
3. मेधावी युवाओं को इस क्षेत्र में विद्यमान रोजगार के अवसरों से परिचित कराते हुए उन्हें विज्ञान व प्रौद्योगिकी को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, चुनिंदा क्षेत्रों में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना करना तथा

उनकी निरंतरता बनाए रखना जिससे श्रेष्ठ स्तर का कार्य-
निष्पादन हो सके।

- 4. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधियों में महिलाओं की पूर्ण व समान भागीदारी सुनिश्चित करना,
- 5. अनुसंधान एवं विकास शोध संस्थानों को कार्य करने की स्वतंत्रता तथा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करना ताकि वास्तविक रचनात्मक परिवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हो तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय उदयम राष्ट्र के प्रति सामाजिक दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कठिबद्ध हों,
- 6. यह सुनिश्चित करना कि विज्ञान का संदेश साधारणजन तक पहुँच सके ताकि एक व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो तथा एक नवीन विकासमान व प्रबुद्ध समाज अस्तित्व में आए, समाज के समस्त लोगों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास तथा इसे मानव कल्याण हेतु प्रयुक्त करने में पूर्ण भागीदारी को संभव बनाने का प्रयत्न करना,
- 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध निजी व सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य अनुसंधान व नवाचारों को, विशेषतः रचनात्मक व घनिष्ठ अंतर्क्रियाओं द्वारा प्रोत्साहित करना, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि फार्मेसी एवं अन्य पदार्थों से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व प्रदान किया जाना,
- 8. एक बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली की स्थापना करना जिसमें समस्त प्रकार के अन्वेषकों को बौद्धिक संपदा के निर्माण व संरक्षण हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो,
- 9. मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा विशेषतः बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा तथा भूखलन इत्यादि से संबंध अनुसंधान व प्रयोग को उत्प्रेरित करना, एवं
- 10. राष्ट्रीय विकास व सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विज्ञान व

13

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा इसे हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख तत्व बनाना।

स्मरण रहे, भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उदयोगों और बिना लाभ के काम करने वाले संस्थानों/संघों समेत एक विस्तृत ढाँचे के अंतर्गत संचालित की जाती हैं।

विज्ञान की सीमाओं को उनसे बेहतर कौन जान सकता है जिन्होंने विज्ञान को जिया है? विज्ञान का उद्देश्य शरीर की रक्षा ही नहीं अपितु आत्मा की रक्षा करना भी है। विज्ञान प्रकृति के आवरण को हटाकर हमें अनेक तथ्यों तथा घटनाओं से परिचित कराता है। यह सोच के नए आयाम देकर इस विश्व की वास्तविकता, उसके नियमों व इतिहास से भी परिचित कराता है।

सर्वसाधारण को विज्ञान के उच्च तकनीकी पहलुओं से कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु जिन लोगों ने पर्याप्त वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें उनकी रुचि के विषयों या उन विषयों में हो रही प्रगति से अवगत कराया जा सकता है जिनमें उन्होंने शिक्षा पाई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयक ज्ञान को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए संगठित होकर एकीकृत/समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। जनसाधारण में वैज्ञानिक विषयों को समझाने की, सुझाव देने की और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता जागृत करने की जरूरत है जिससे हमारे उत्पादन उच्च कोटि के हों एवं विश्व बाजार में स्पर्धा में भी खरे उतरें। यह तभी संभव है जब हमारे वैज्ञानिक नित नए शोध कार्य में संलग्न रहें, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहें जिससे अनुसंधान, औद्योगिक और प्रबंध क्षमता की निरंतर शृंखला बनी रहे और हमारे उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

गाँधी और गाँधीवाद की प्रासंगिकता

डॉ. विनोद कुमार सिन्हा

महात्मा गाँधी संत संस्कृति के जाज्ज्वल्यमान नक्षत्र थे। उनके जन्म के 144 वर्षों बाद यह आवश्यक हो गया है कि लोग यह विचार मंथन करें कि गाँधी और गाँधीवाद आज कितने प्रासंगिक हैं।

विदवानों ने गौतम बुद्ध से महात्मा गाँधी की तुलना की है। बहुभाषाविद् तथा विदवान साहित्यकार स्व. राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था— “बुद्ध के पश्चात् गाँधीजी के अतिरिक्त ऐसा अन्य महापुरुष नहीं हुआ जो संपूर्ण समाज को इतना महान संदेश दे सके।

उन्होंने जीवन भर बहुजन हिताय संघर्ष किया और बहुजनों का हित ही उन्हें अभीष्ट रहा। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्हें अपने जीवन में बुद्ध से भी अधिक कष्ट सहन करने पड़े।” (आजकल, सितंबर 1947)

राहुल जी ने यह भी आशा व्यक्त की थी कि अगर गाँधी जी भारतीय जनता को आर्थिक बंधनों एवं वर्गजन्य अत्याचार से मुक्त कराने में सफल हो जाएँ तो वह ऐसा कार्य संपन्न कर जाएँगे जिसे अपनी सद्भावना के रहते बुद्ध भी न कर पाए। परंतु दुर्भाग्यवश राहुल जी की जो आशा थी, उसके वर्षभर के अंदर गाँधी को जाना पड़ा।

15

आचार्य रजनीश ने बुद्ध और महावीर से भी अधिक महत्व महात्मा गाँधी को देते हुए अपनी पुस्तक काम योग, धर्म और गाँधी में लिखा— “बुद्ध और महावीर ने मनुष्य के व्यक्तिगत चरमोत्कर्ष की बातें की हैं परंतु हिंदुस्तान में गाँधी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक उत्कर्ष का भी विचार किया था।”

कहा गया है कि महात्मा गाँधी में आध्यात्मिक चेतना इतनी अधिक थी कि रोम्या-रोलॉ, आइंसटीन, रवींद्रनाथ टैगोर सभी युग विभूतियों को उन्होंने अपने आदर्शों तथा आचरण से प्रभावित किया। किंतु हमारे देश में कुछ ऐसे युगपुरुष भी थे जिन्हें महात्मा गाँधी के विचार पूर्णतः मान्य नहीं थे। वे थे— लोकमान्य तिलक, सुभाषचंद्र बोस, आदि।

परंतु जो गाँधी की विचार-क्रांति की उपज थे, अपने को गाँधीवादी कहते थे, उनके विचार भी बदलते गए। भारत को स्वाधीन करना महात्मा गाँधी का संकल्प था जिसे लोगों ने सपना समझ लिया था। गाँधी ने उस सपने को साकार किया। उनकी कर्मठता, त्याग और सहनशीलता से भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद जब महात्मा गाँधी को दिल्ली जाने का अवसर मिला तो सत्ताधारियों ने स्वागत की औपचारिकता भी पूरी नहीं की। इतना भी न हो सका कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, अंततोगत्वा महात्मा गाँधी की राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी गई।

आजादी के बाद गाँधी की सत्यनिष्ठा एवं अहिंसा की बात सनातन हो गई, प्राचीन लगने लगी। उनकी जन्मतिथि और अवसान तिथि पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि, प्रार्थना आदि को अपना कर्तव्य मानकर उनके आदर्शों की अनदेखी शुरू हो गई।

राजनीतिज्ञों का फैशन बन गया कि गाँधी की दुहाई देकर सत्ता सुख का भोग किया जाए। गिनती के कुछ नेता ऐसे बचे जिन्हें यह

संस्कार दुख देता रहा और मन-ही-मन गाँधी के आदर्शों का अवमूल्यन उन्हें सालता रहा। आजादी के बाद लोग सत्य-अहिंसा के बदले खादी और गाँधी टोपी को अपना कवच-कुँडल समझने लगे जो आँधी-तूफान में भी नेताओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें।

भारत में मार्क्सवाद के उदय से सामंतों में घबड़ाहट हुई और वे पुनः मात्र अपनी सुरक्षा के लिए गाँधीवाद की दुहाई देने लगे। तब राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा—

ना, गाँधी सेरों का चौकीदार नहीं है,
न तो लौहमय छत्र जिसे तुम ओढ़ लो,
अपना संचित क्रोध मार्क्स की बौछारों से,
इस प्रकार मत पियो, आग से जल जाओगे,
गाँधी शरबत नहीं — प्रखर पावक प्रवाह था,
घोल दिया यदि इत्र वहाँ अपनी शीशी का—
अनलोदक, दृष्टि अपेय हो जाएगा।

मात्र आजादी ही गाँधी का सपना नहीं था। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का पहुँचना, वंचित व्यक्ति को समुच्चय लाभ, अनुसूचित जाति को 'हरि' की सज्जा देना, मशीनीकरण का विरोध, हर हाथ में काम, वैश्वीकरण का विरोध, भारतीय संस्कृति की रक्षा, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठना, राष्ट्रभाषा हिंदी की पूर्णरूपेण स्वीकार्यता— ये सभी गाँधी-दर्शन के कतिपय स्तंभ थे जिनमें से कुछ बातों पर ध्यान दिया गया और कुछ को अनदेखा कर दिया गया। भूमंडलीकरण तथा वैश्वीकरण को आधुनिक युग का फैशन माना गया। यह भी माना गया कि इसके बिना विश्व के मानचित्र में भारत का चित्र कहीं धूमिल न हो जाए।

यह चिंतन का विषय है कि गाँधी और गाँधीवाद के दृष्टिकोण में अंतर क्यों हो गया। गाँधी के विचार में नैतिकता थी, राजनीति नहीं

17

थी। राजनीति उनकी मानसिकता से नहीं कर्मफल से जुड़ी थी। नैतिकता उनकी अंतरात्मा थी। आजादी मिली। करोड़ों भारतीय का सपना पूरा हुआ। गाँधी पर जो राजनीति का बाह्य आवरण था वह नष्ट हो गया। परंतु उनके अनुयायियों को सत्य-अहिंसा की जो कड़वी धूँट पिलाई गई थी— बेअसर होने लगी। अगर गाँधी की नैतिकता उनके अनुयायियों ने मन से स्वीकार की होती तो गाँधीवाद का दर्शन तिरोहित नहीं होता। नैतिकता एक आरोपित धर्म बन गया। आरोपित गुण और धर्म नष्ट हो ही जाते हैं। गाँधी की नैतिकता तो अनुभूतिजन्य थी — समाधि से उत्पन्न हुई थी।

फिर गाँधीवाद की ओढ़ी हुई नैतिकता सत्तासुख के फैशन, जश्न में कब तक टिकने वाली चीज थी— ओढ़ी हुई और जबरदस्ती अनुकरण की गई संस्कृति तो विनष्ट होती ही है। कुछ ही लोग बचे जिन्हें पद और सत्ता का लोभ नहीं था — ऐसे लोग अल्पसंख्यक बन गए। प्रजातंत्र में बहुसंख्यक की मान्यता होती है। सत्तासुख भोगने वाले या सत्ता की इच्छा रखने वाले लोग बहुसंख्यक बन गए।

गाँधी के गाँधीवाद को नेताओं ने कम और साहित्यकारों ने अधिक समझा। जब गाँधी की हत्या हुई तब कविवर बच्चन ने लिखा—

यह गाँधी मरकर पड़ा नहीं है धरती पर,
यह उसकी काया, काया होती नश्वर।
गाँधी संज्ञा वह जो है जग में अजर-अमर।
दी उसने केवल जीवन की चादर उतार।
सुर, नर, मुनि इसको अपने तन पर लेते हैं।
दुनिया ही ऐसी है, मैली कर देते हैं।
कुछ ओढ़ जतन से ज्यों का त्यों धर देते हैं।
दी उसे तपोधन, गाँधी ने तप से संवार।

गांधी जीवन के जिन नैतिकमूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे आज उसका अवमूल्यन हो रहा है। सत्ता और संपत्ति जिसके हाथ आती है, वहाँ भ्रष्टाचार का जन्म स्वाभाविक हो जाता है। मसनद की दिशा बदलती है, नशा नहीं। बहुत दिनों के कांग्रेसी शासन के बाद जब लोकनायक ने सत्ता का परिवर्तन किया तो नए सांसदों ने राजघाट में कसमें खाई, परंतु वे भी उसे निभा नहीं पाए।

आज देश में विखंडनवाद, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन—ये तीन बड़े शत्रु उभर आए हैं। इनके नाश हेतु गांधी और गांधीवाद सदैव प्रासंगिक रहेंगे। आज विदेशियों से नहीं, अपने देश के भ्रष्टाचार से लड़ना है, आज गांधीवाद के सिद्धांत पर चलकर धर्म, जाति, संप्रदाय से विमुक्त होकर लड़ना होगा। यह लड़ाई बड़ी होगी। यह लड़ाई निज से, परिवार, समाज, गाँव से प्रारंभ कर देश तक लड़ना होगा जहाँ गांधीवाद अमृत सिद्ध होगा।

आज फिर राष्ट्रकवि दिनकर याद आ रहे हैं। जिन्होंने गांधी के अनुयायियों को गांधीवाद की याद दिलाई थी—

उन्हें पुकारो जो गांधी के सखा, शिष्य, सहचर हैं।

कहो आज पावक में उनका कंचन पड़ा हुआ है।

प्रभापूर्ण होकर निकला यह, तो पूजा जाएगा।

मलिन हुआ तो भारत की साधना बिखर जाएगी।

गांधी अगर जीतकर निकले, जलधारा बरसेगी।

हारे तो तूफान इसी उमस में फूट पड़ेगा।

19

वैश्वीकरण बनाम बहुसंस्कृतिवाद

डॉ. सरोज कुमार वर्मा

मनुष्य प्रकृति का वह प्राणी है, जो मूर्त यथार्थ के साथ-साथ अमूर्त अवधारणा के स्तर पर भी जीता है। इसीलिए वह 'आकाश-कुसुम' अथवा 'बंधा-पुत्र' जैसी उन अवधारणाओं की भी इजाद कर लेता है, जो यथार्थ नहीं होतीं। ये मात्र शब्द होते हैं, सच नहीं, लेकिन चूँकि उसके पास सच को व्यक्त करने के लिए शब्दों से बनी एक भाषा होती है, इसलिए वह किसी उस शब्द को भी, जो सच नहीं होता, भाषा में गूँथ कर सच की श्रेणी में डाल देने का प्रयास करता है। कई बार यह प्रयास भाषा की लिबास में होने के कारण प्रामाणिक दिखाई भी पड़ने लगता है, यद्यपि वह प्रामाणिक होता नहीं। वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतिवाद के आपसी रिश्ते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच सहयोग का संबंध है, इसलिए ये दोनों एकसाथ संभव हो सकते हैं, जबकि ऐसी कोई संभावना किसी कोण से नहीं दिखती। अतः इनके बीच संबंध का कोई भी समीकरण व्याघातक ही हो सकता है। यह वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतिवाद की प्रकृति, उद्देश्य, आयाम और परिणति की पड़ताल से स्पष्ट हो जाता है।

'वैश्वीकरण' अंग्रेजी शब्द Globalisation का हिंदी अनुवाद है। 'Globalisation' शब्द 'Globe' से बना है जिसका अर्थ 'पृथ्वी' होता

है। Global शब्द, जिसका तात्पर्य 'पूरे विश्व को समाहित करने वाला' होता है, इसी 'Globe' का विशेषण है और 'Globalize' इस 'Global' से बनी हुई क्रिया। इसी 'Globalize' क्रिया को संज्ञा में रूपांतरित करने पर 'Globalization' शब्द बनता है, जिसका मतलब 'पूरे विश्व को समाहित करनेवाली प्रक्रिया' है। इस प्रकार इस शादिक व्युत्पत्ति के आधार पर यह निष्पादित होता है कि वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक करने का उपक्रम है। इस 'एक करने के उपक्रम' से लोगों में यह भ्रम पैदा होता है कि यह कोई ऐसी परियोजना है, जिससे पूरे विश्व का हित होता है। इसीलिए कुछ लोग इसे भारत के पुराने उद्घोष 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का नया प्रारूप मानते हैं।

लेकिन यह एक छलावा है, क्योंकि हकीकत इसके ठीक विपरीत यह है कि वैश्वीकरण पूरे विश्व का हित करनेवाली कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों और मुल्कों के लिए लाभ कमाने वाली महज एक आर्थिक परियोजना है और इसी के लिए वह पूरे विश्व को एक करना चाहती है। अतः इसकी दृष्टि पूरी तरह एकआयामी है और इसका उद्देश्य मात्र भुनाफा कमाना है। इसीलिए डॉ. एस. सी. सिंहल कहते हैं— "वैश्वीकरण विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण है। यह एकीकरण प्रमुख रूप से व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से होता है। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियाँ क्रिया करती हैं, उनका राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही वैश्वीकरण है। इसमें पूँजी राष्ट्रीय सीमाओं को लॉघकर मुक्त रूप से विचरण करती है तथा अपने विस्तार के लिए सर्ते श्रम और सर्ते कच्चे माल की तलाश में रहती है।"

यह तलाश 17वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, जब साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। तब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने यूरोप तथा एशिया के देशों को अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ से कच्चा माल अपने देशों में ले गए। वहाँ इनसे

21

औद्योगिक उत्पादन हुआ और उत्पादित माल पुनः बिक्री के लिए उन्हीं उपनिवेशों में भेजा गया। इस प्रकार विश्व के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यद्यपि उसका स्वरूप थोड़ा अलग था। मगर इस अलगाव के बावजूद इस प्रक्रिया को, प्रकारांतर से ही सही, वैश्वीकरण का उत्स माना जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की शुरुआत उपनिवेशवाद की शुरुआत के साथ ही हो गई थी। हाँ! यह अपनी स्पष्ट योजनाओं के साथ तब प्रकट हुआ जब 20वीं सदी के अंत में दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जिन दो ध्रुवों, सैन्य शक्ति के रूप में रूस तथा औद्योगिक शक्ति के रूप में अमरीका का जन्म हुआ था, उनमें से एक ध्रुव सोवियत संघ अंततः अपने अंतर्विरोधों के कारण विघटित हो गया। फलतः अमरीका के नेतृत्व में विश्व एकध्रुवीय हो गया। अब अमरीका का प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं बचा। इस कारण पूँजीवाद का, क्योंकि अमरीका पूँजीवादी व्यवस्था का पोषक था, बेतहाशा विकास और विस्तार हुआ। वैश्वीकरण पूँजीवाद के इसी विस्तार का नाम और परिणाम है।

पूँजीवाद का यह विस्तार, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व-व्यापार संगठन तथा विश्व-बैंक, इन तीन संस्थाओं के द्वारा होता है। इन संस्थाओं की स्थापना दूसरे महायुद्ध के बाद अर्थव्यवस्थाओं के नष्ट हो जाने के कारण हुई। चूँकि इन संस्थाओं का संस्थापक अमरीका है, इसलिए इनका उपयोग भी वह अपने हित के लिए ही करता है। फिर अमरीका को चुनौती देने वाला सोवियत संघ भी वजूद में नहीं रहा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी उसका आधिपत्य हो गया। इस प्रकार अमरीका की छत्रछाया में पूँजीवाद को निर्बाध फैलाने का मौका मिला और इस फैलाव के लिए जो उपक्रम अपनाए गए वही वैश्वीकरण के नाम से जाना गया। इसीलिए डॉ. प्रेम सिंह का कहना है— "...वैश्वीकरण का अर्थ पिछड़े अथवा विकासशील कहे जाने वाले देशों

22

की अर्थनीति को विकसित यानी धनी देशों की अर्थनीति के मात्रहत संचालित करना और उन पर विकसित देशों द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल और उसे हासिल करने के तरीकों को थोपना है। विकसित देशों का अगुआ संयुक्त राज्य अमरीका है जो उसकी सरपरस्ती में चलने वाली विश्व-बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी वैश्विक आर्थिक संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मार्फत वैश्वीकरण की मुहिम को अंजाम देता है।"

इस मुहिम की सफलता के लिए पूँजीवाद ने विकास का वह एकांगी ढाँचा इजाद कर लिया है, जिसके अनुसार विकसित होने का एकमात्र अर्थ अनियंत्रित उपभोग के लिए भौतिक रूप से अधिक समृद्धि होना है। चूंकि यह समृद्धि उदयोग और तकनीक से आती है, इसलिए विकसित होने के लिए इन दोनों से लैस होना भी जरूरी है। अतः जो देश इन कसौटियों पर खरा उत्तरता है वह विकसित है और जो नहीं उत्तरता उसे विकसित होने के लिए इन कसौटियों पर खरा उत्तरना जरूरी है। इन देशों को विकासशील कहा जाता है और उन्हें खरा उत्तरने के लिए इन विकसित देशों से कर्ज लेना चाहिए। लेकिन जब कोई देश विकसित होने के लिये एकबार इस रास्ते पर चल पड़ता है, तो वह उस उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार हो जाता है, जो भोग को ही जीवन का एकमात्र उददेश्य घोषित करती है। इस उददेश्य को पूरा करने के लिए उसे फिर विकसित देशों से कर्ज लेना पड़ता है और इस प्रकार वह उनकी गिरपत में ऐसे फँस जाता है कि फिर उसका बाहर आना ही असंभव हो जाता है। यह असंभावना उसके कर्ज चुकाने के क्रम में जर्जर और खोखले हो जाने के फलस्वरूप विकसित देशों पर बनी निर्भरता के कारण पैदा होती है। इस तरह विकसित होने के फरेब में गरीब देश अमीर देशों का गुलाम ही हो जाता है। इसलिए प्रो. कमल नयन काबरा कहते हैं— "बहुप्रचारित वैश्वीकरण किसी भी अर्थ में वैचारिक स्वतंत्रता, सृजनात्मकता

23

तथा व्यापक जनभागीदारी पर आधारित लोकतंत्र-पोषक व्यवस्था नहीं है। वस्तुतः यह तो स्वयं एक खास किस्म की कूपमंडूकता, हठधर्मिता और वैचारिक दासता पर आधारित है जो शोषण-दोहन के अधिकार को महिमामंडित तथा शाश्वत करने की मुहिम का हिस्सा है।" यह मुहिम संस्कृति पर भी हमला करती है। इसलिए वैश्वीकरण के साथ-साथ बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना साकार नहीं हो सकती।

'बहुसंस्कृतिवाद' अनेक संस्कृतियों का सूचक शब्द है। इसलिए इस शब्द से विभिन्न संस्कृतियों के सहअस्तित्व की सूचना मिलती है। किसी भी देश या समाज में कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं या रह सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद इन सभी संस्कृतियों के इकट्ठेपन का समर्थन करता है। वह इस बात की हिमायत करता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपनी-अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों का पालन करते हुए भी किसी एक समाज अथवा देश में रह सकते हैं तथा उस देश अथवा समाज की परंपराओं एवं प्रचलनों में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक पहचान बनाने में मदद करता है। इससे देश को विधायक बल मिलता है।

'बहुसंस्कृतिवाद' 19वीं सदी की परिघटना है, जिसके बारे में प्रो. हृदयनारायण मिश्र लिखते हैं— "बहुसंस्कृतिवाद 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवहारवाद (Pragmatism) आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ तथा 20वीं शताब्दी में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक बहुलतावाद (Pluralism) के रूप में प्रकट हुआ। इसका आरंभ दक्षिण एवं यूरोपीय देशों के बहुत जनसमूह के संयुक्त राज्य अमरीका तथा लैटिन अमरीका में बसने के पश्चात् हुआ। अनेक दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, इतिहासविदों ने जिनमें चाल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डिवी, डु बोईस (Du Bois) आदि प्रमुख हैं, सांस्कृतिक बहुलतावाद, जो बाद में बहुल संस्कृतिवाद के रूप में जाना जाने लगा, का समर्थन किया।" दरअसल 19वीं सदी के प्रारंभ में विदेशी मूल के

24

लोग आर्थिक वजहों से अमरीका में आकर बसने लगे। चूँकि वे समूह में आते थे, इसलिए उनका यह बसना सामूहिक रूप में होता था। इस कारण विदेशी संस्कृतियाँ न केवल यहाँ जमने लगीं, बल्कि यहाँ की राष्ट्रीय-धारा में भी शामिल होने लगीं; यद्यपि इसके लिए राज्य ने कोई दबाव नहीं डाला था। विदेशी समूह द्वारा अपनी स्वाभाविकता के साथ अमरीकी समाज में शामिल होने की यह घटना सांस्कृतिक द्रवीकरण कहलाई। बहुसंस्कृतिवाद का महल इसी सांस्कृतिक द्रवीकरण की नींव पर खड़ा हुआ। फिर 1971 में कनाडा में एक राष्ट्रीय नीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद का प्रारंभ हुआ, जिसे 1973 में आस्ट्रेलिया ने भी अपना नीति-परिवर्तन करके स्वीकार लिया। इस कारण ग्रीस, इटली, जर्मनी, यूगोस्लाविया तथा नीदरलैंड आदि दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर बसने लगे। भारत में भी कई संस्कृतियों के लोगों के अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारणों से आकर बस जाने के कारण बहुसंस्कृतिवाद का विकास हुआ और उनका अस्तित्व अब भी कायम है। तभी तो इसे अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुसंस्कृतिवाद अनेक संस्कृतियों के एकसाथ वजूद में बने रहने की संकल्पना है। यद्यपि संस्कृति के दायरे में कुछ लोग केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले साहित्य, संगीत, नृत्य, कला आदि को रखते हैं, तो कुछ लोग उत्पादन के उन साधनों को, जिनसे जीवन की सुरक्षा होती है। परंतु ये दोनों दृष्टियाँ एकांगी हैं, क्योंकि वास्तव में संस्कृति मनुष्य के आचार, विचार, जीवन-दृष्टि; मूल्यों एवं उत्पादन-प्रणालियों इन सबको अपने में समेट कर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली घटना है। इसलिए ऐन्थोनी गीडेंस कहते हैं— “किसी समूह के सदस्यों द्वारा धारण किए जाने वाले मूल्यों तथा उसके पालन किए जाने वाले मानकों और उसके द्वारा उत्पन्न की जानेवाली भौतिक वस्तुओं के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है।” इसलिए बहुसंस्कृतिवाद भी तभी

25

HRD 114 - 3A

सुरक्षित रह सकता है जब संस्कृति के सारे आयाम सुरक्षित रहें और उनका सतत आनुपातिक विकास भी होता रहे।

परंतु वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्वीकरण विभिन्न संस्कृतियों को नष्ट कर एक संस्कृति का पोषक है— बाजार की संस्कृति का, भोग की संस्कृति का, जैसा कि सच्चिदानन्द सिन्हा कहते भी हैं— “...अभी हाल के वर्षों में संपन्न पश्चिमी देशों की संस्कृति को, विशेषकर उपभोक्तावादी संस्कृति को, सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी दुनिया पर इसे आरेपित किया जा रहा है। इसमें सार्वजनिक संस्कृति के उदय का भ्रम पैदा होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया के तमाम देशों की राष्ट्रीय या इनके भीतर की आंचलिक संस्कृतियाँ या तो लुप्त होती जा रही हैं, या इस संपर्क में बाहरी तत्वों के तालमेल से भ्रष्ट हो रही हैं।”

यद्यपि संस्कृतियों का मिलन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, इसलिए प्राचीन काल से संस्कृतियाँ एक-दूसरे से मिलती रही हैं और आपस में लेन-देन करती रही हैं। इससे वे समृद्ध भी हुई हैं। लेकिन पहले के इस मिलन में एक संस्कृति दूसरी को नष्ट नहीं करती थी, क्योंकि भिन्न-भिन्न परिवेश में जन्म लेने के कारण जीवन और कला के मूल्यबोध भिन्न-भिन्न होते थे और उनकी उत्कृष्टता का पैमाना भी स्वनिर्मित होने के कारण, भिन्न-भिन्न हुआ करता था। इसलिए उनका मूल्यांकन किसी बाह्य पैमाने से नहीं होता था। एक संस्कृति अपने पैमाने पर दूसरी संस्कृति को नहीं परखती थी। इस कारण वे संस्कृतियाँ मिलकर भी नष्ट नहीं होती थीं, बल्कि अपने पैमाने के अनुरूप दूसरी संस्कृतियों के तत्त्व लेकर मजबूत होती थीं। यूनानी संपर्क से भारतीय नाट्यकला का विकास हुआ और मूर्तिकला के क्षेत्र में गंधार कला विकसित हुई, लेकिन इस विकास के बावजूद नाटकों के मूल्य और विषयवस्तु तथा मूर्तिकला की आध्यात्मिक प्रवृत्ति भारतीय परंपरा के अनुरूप ही बनी रही। इसलिए इस संपर्क से भी भारतीय कला का कोई नुकसान नहीं हुआ।

26

3025 HRD 114

लोग आर्थिक वजहों से अमरीका में आकर बसने लगे। चूँकि वे समूह में आते थे, इसलिए उनका यह बसना सामूहिक रूप में होता था। इस कारण विदेशी संस्कृतियाँ न केवल यहाँ जमने लगीं, बल्कि यहाँ की राष्ट्रीय-धारा में भी शामिल होने लगीं; यद्यपि इसके लिए राज्य ने कोई दबाव नहीं डाला था। विदेशी समूह द्वारा अपनी स्वाभाविकता के साथ अमरीकी समाज में शामिल होने की यह घटना सांस्कृतिक द्रवीकरण कहलाई। बहुसंस्कृतिवाद का महल इसी सांस्कृतिक द्रवीकरण की नींव पर खड़ा हुआ। फिर 1971 में कनाडा में एक राष्ट्रीय नीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद का प्रारंभ हुआ, जिसे 1973 में आस्ट्रेलिया ने भी अपना नीति-परिवर्तन करके स्वीकार लिया। इस कारण ग्रीस, इटली, जर्मनी, यूगोस्लाविया तथा नीदरलैंड आदि दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर बसने लगे। भारत में भी कई संस्कृतियों के लोगों के अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारणों से आकर बस जाने के कारण बहुसंस्कृतिवाद का विकास हुआ और उनका अस्तित्व अब भी कायम है। तभी तो इसे अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुसंस्कृतिवाद अनेक संस्कृतियों के एकसाथ वजूद में बने रहने की संकल्पना है। यद्यपि संस्कृति के दायरे में कुछ लोग केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले साहित्य, संगीत, नृत्य, कला आदि को रखते हैं, तो कुछ लोग उत्पादन के उन साधनों को, जिनसे जीवन की सुरक्षा होती है। परंतु ये दोनों दृष्टियाँ एकांगी हैं, क्योंकि वास्तव में संस्कृति मनुष्य के आचार, विचार, जीवन-दृष्टि; मूल्यों एवं उत्पादन-प्रणालियों इन सबको अपने में समेट कर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली घटना है। इसलिए एन्थोनी गीडेंस कहते हैं— “किसी समूह के सदस्यों द्वारा धारण किए जाने वाले मूल्यों तथा उसके पालन किए जाने वाले मानकों और उसके द्वारा उत्पन्न की जानेवाली भौतिक वस्तुओं के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है।” इसलिए बहुसंस्कृतिवाद भी तभी

25

HRD 114 - 3A

सुरक्षित रह सकता है जब संस्कृति के सारे आयाम सुरक्षित रहें और उनका सतत आनुपातिक विकास भी होता रहे।

परंतु वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्वीकरण विभिन्न संस्कृतियों को नष्ट कर एक संस्कृति का पोषक है— बाजार की संस्कृति का, भोग की संस्कृति का, जैसा कि सच्चिदानन्द सिन्हा कहते भी हैं— “...अभी हाल के वर्षों में संपन्न पश्चिमी देशों की संस्कृति को, विशेषकर उपभोक्तावादी संस्कृति को, सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी दुनिया पर इसे आरेपित किया जा रहा है। इसमें सार्वजनिक संस्कृति के उदय का भ्रम पैदा होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया के तमाम देशों की राष्ट्रीय या इनके भीतर की आंचलिक संस्कृतियाँ या तो लुप्त होती जा रही हैं, या इस संपर्क में बाहरी तत्वों के तालमेल से भ्रष्ट हो रही हैं।”

यद्यपि संस्कृतियों का मिलन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, इसलिए प्राचीन काल से संस्कृतियाँ एक-दूसरे से मिलती रही हैं और आपस में लेन-देन करती रही हैं। इससे वे समृद्ध भी हुई हैं। लेकिन पहले के इस मिलन में एक संस्कृति दूसरी को नष्ट नहीं करती थी, क्योंकि भिन्न-भिन्न परिवेश में जन्म लेने के कारण जीवन और कला के मूल्यबोध भिन्न-भिन्न होते थे और उनकी उत्कृष्टता का पैमाना भी स्वनिर्मित होने के कारण, भिन्न-भिन्न हुआ करता था। इसलिए उनका मूल्यांकन किसी बाह्य पैमाने से नहीं होता था। एक संस्कृति अपने पैमाने पर दूसरी संस्कृति को नहीं परखती थी। इस कारण वे संस्कृतियाँ मिलकर भी नष्ट नहीं होती थीं, बल्कि अपने पैमाने के अनुरूप दूसरी संस्कृतियों के तत्त्व लेकर मजबूत होती थीं। यूनानी संपर्क से भारतीय नाट्यकला का विकास हुआ और मूर्तिकला के क्षेत्र में गंधार कला विकसित हुई, लेकिन इस विकास के बावजूद नाटकों के मूल्य और विषयवस्तु तथा मूर्तिकला की आध्यात्मिक प्रवृत्ति भारतीय परंपरा के अनुरूप ही बनी रही। इसलिए इस संपर्क से भी भारतीय कला का कोई नुकसान नहीं हुआ।

26

3025 HRD 114

मगर अब वैसी बात नहीं है। अब वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों का मूल्यांकन बाजार के पैमाने से, जो कि सतही लोकप्रियता है, हो रहा है। इसलिए वही संस्कृतियाँ बेहतर मानी जाती हैं, जिनकी लोकप्रियता अधिक होती है। जिस साहित्य, संगीत, कला, नृत्य आदि के श्रोता, दर्शक अधिक होते हैं, जिनसे आय अधिक होती है, वही सब प्रशंसित होता है और बाजार में टिक पाता है। अब चूँकि बाजार की अपनी जरूरतें हैं, इसलिए उन जरूरतों को पूरी करने के लिए वह विज्ञापन और प्रतिस्पद्ध के द्वारा ऐसा माहौल उत्पन्न करता है, जिसमें सतही वासनाओं की पूर्ति कर चटखारा देने वाले सांस्कृतिक उपादान ही बेहतर सिद्ध हो पाते हैं और बचे रह पाते हैं। वे तत्व जो किसी संस्कृति को गहराई और उदात्तता प्रदान करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। यह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज होने के बाद यहाँ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला आदि की गहराई और उदात्तता नष्ट हो रही है, उनके आध्यात्मिक मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं तथा उनकी जगह सिर्फ उपभोग को महत्व देनेवाली सतही संकीर्णता अपने पाँव पसार रही है। यह भोगकेंद्रित उथलापन बाजार के उस पैमाने से विकसित हुआ है, जिसका निर्माण वैश्वीकरण ने किया है। वैश्वीकरण यहाँ के प्राकृतिक उपादानों और जीवन को सुरक्षित रखनेवाले उत्पादन के साधनों को भी नष्ट कर रहा है। डॉ. रविप्रकाश पांडेय इसे रेखांकित करते हुए लिखते हैं— “नदियाँ, जंगल, पहाड़, झील आदि जो लंबे समय से कर्मकांडों और प्रथाओं की सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा एकता के सूत्र में पिरोए हुए थे आज लाभ हेतु बाजार के प्रयोग की वस्तुएँ बन गए हैं। ये; बहुत से समुदायों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं; विशेष रूप से जनजातियों, शिल्पकारों, परंपरागत सांस्कृतिक कलाकारों के लिए।

27

अतः वैश्वीकरण के बाजारवाद ने इन स्थानीय लोगों के लिये सांस्कृति समस्यायें खड़ी कर दी हैं।”

इस तरह की समस्यायें यूरोपीय मुल्कों में भी खड़ी हो रही हैं। सच्चिदानन्द सिन्हा इसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं— “यह सांस्कृतिक आक्रमण इतना बड़ा हो गया है कि पिछले दिनों गैट समझौते की शर्तों में सिनेमा और टी.वी. के निर्बंध प्रवेश के खिलाफ स्वयं यूरोपीय समुदाय, विशेषकर फ्रांस का स्वर अत्यधिक मुखर था क्योंकि उसे अमरीकी कला व्यापार की स्पर्धा से अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता था।” शायद ऐसा ही खतरा नीदरलैंड एवं डेनमार्क को भी दिखाई पड़ा होगा, जिसके कारण इन्होंने अपनी राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन करके फिर से एक संस्कृतिवाद को अपनाया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैश्वीकरण सिर्फ बाजारवादी संस्कृति का संरक्षक है। इसलिए उसकी प्रक्रिया के तहत बहुत और भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ सुरक्षित नहीं रह सकतीं। अतः वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतिवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उनके रिश्ते व्याघातक हैं।

कहने को कोई कह सकता है कि चूँकि उसी अमरीका से बहुसंस्कृतिवाद का आंदोलन प्रारंभ होता है, जिस अमरीका से वैश्वीकरण की यात्रा भी शुरू होती है; इसलिए इन दोनों के बीच व्याघातक रिश्ता नहीं है और ये दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण जिस बाजारवादी संस्कृति को परोस रहा है उसकी चपेट में वे सभी संस्कृतियाँ नष्ट या भ्रष्ट हो रही हैं जिनकी वजह से बहुसंस्कृतिवाद आरंभ हुआ था; क्योंकि इस संस्कृति का मानक बाजार है। इसलिए जो पूँजी और लाभ की वृद्धि में सहायक होता है, वही बच पाता है और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। अतः अमरीका बहुसंस्कृतिवाद की जुगाली भले करता हो, लेकिन वह है वैश्वीकरण का हिमायती। उसके लिए

28

बहुसंस्कृतिवाद एक छलावा है। इसलिए यूरोपीय समुदाय में भी इससे परहेज करने की वकालत है और भारत में भी इससे असहमति रखने वाले लोग हैं।

वस्तुतः वैश्वीकरण द्वारा प्रवर्तित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण संस्कृतियों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से पूरे विश्व में एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक उत्पाद पैदा हुआ है, जिसके कारण सभी देशों के लोग एक जैसी संस्कृति अपनाने को बाध्य हुए हैं। वे भाषा, भोजन, परिधान और रहन-सहन सब में उस संस्कृति को स्वीकारने को विवश हैं जो बाजार परोस रही है। इसलिए जिसे संस्कृतियों का मिलन कहा जाता है, वह संस्कृतियों का मिलन नहीं वास्तव में एक संस्कृति का दूसरी सभी संस्कृतियों पर आधिपत्य है। तभी तो अमरीकी केवल न्यूज नेटवर्क (CNN) कहता है— "...जो कुछ हम अमरीका के लिए करते हैं वह अमरीका के बाहर भी वैध है। हमारी खबरें वस्तुतः विश्व की खबरें हैं।" CNN का यह कथन बहुसंस्कृतिवाद की संभावना पर सवाल है। उसकी असंभावना का सबूत है।

लेकिन यह शुभ नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद का होना आवश्यक है ताकि भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ अपने मूल स्वरूप में बची रहें। उनका बचा रहना विभिन्न देशों की परंपरा, उनकी गरिमा, उनका स्वाभिमान और उनकी संप्रभुता के बचे रहने का प्रमाण है। इसके लिए सच्चिदानन्द सिन्हा कहते हैं कि— "स्पष्ट है कि बाजार संस्कृति का निर्बाध फैलाव समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो समस्या का समाधान इसी में हो सकता है कि मूल्यों की विविधता के बीच कुछ ऐसे मूल्यों की तलाश हो जो विविधता के बावजूद विभिन्न मानव समूहों और उनकी संस्कृतियों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को संभव बना सकें।" यह तभी हो सकता है जब वैश्वीकरण के निर्बाध फैलाव का विरोध किया जाए, उसके द्वारा प्रवर्तित अनियंत्रित उपभोगवाद से परहेज किया जाए, संचार-माध्यमों पर निर्भरता कम की जाए और विकास के उस मानक को बदल दिया जाए जो केवल भौतिक समृद्धि पर बल देता है।

29

यद्यपि वैश्वीकरण बेहद लुभावन शैली में अपनी बात प्रचारित कर रहा है, लेकिन कोई भी बात, चाहे वो कितनी भी लुभावन हो, यदि वह मनुष्य का शोषण करती है, उसके बावजूद को नष्ट करती है तो वह अस्वीकार करने योग्य है; क्योंकि समूह, संस्था, समाज, राष्ट्र, विचार अथवा व्यवहार के नाम पर किए गए किसी भी क्रिया-कलाप में अंततः दुख भोगने वाला मनुष्य ही होता है और दुख की घड़ियों में वह निहायत एकाकी होता है। अतः किसी भी आदर्श के लिए मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। वैश्वीकरण भी एक ऐसा ही आदर्श है। इसके लिए भी मनुष्य का बलिदान नहीं किया जा सकता। अतः बहुसंस्कृतिवाद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित रहता है, वैश्वीकरण के अभियान को खारिज करना जरूरी है। तभी भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ बची रह सकती हैं और उन संस्कृतियों का संवाहक मनुष्य भी बचा रह सकता है।

बाल संस्कार

प्रो. आर.पी. पाठक
डॉ. अमिता पांडेय भारद्वाज

बचपन मानव जीवन की अविस्मरणीय अद्भुत अवस्था है। जीवन भर बचपन की यादें ताजा रहती हैं। बालक का जैसे-जैसे विकास होता है वैसे-वैसे उसमें परिवार, पड़ोस, समाज और विद्यालय के द्वारा संस्कार का बीजारोपण शुरू हो जाता है। संपूर्ण भारत में बचपन की इन्हीं यादों को सँजोने के लिए स्व. जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम करके इसकी इतिश्री कर दी जाती है। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? आज के भौतिकवादी युग में वैज्ञानिक प्रगति को देखकर आश्चर्य होता है, स्मृतिनिक की गति से भी तीव्रतर मानव प्रगति की दौड़ में होड़ लगाए हैं। आकाश और पाताल में आज एक क्रांति आ गई है, एक ओर वह गगन भेद कर न केवल सौर-मंडल के ग्रहों पर कूद रहा है, वरन् दूसरी ओर सागर के अंतराल में निर्भीकता से उत्तरकर रत्नों के भंडार हस्तगत कर रहा है। वह विश्वामित्र बनकर नए उपग्रहों का निर्माण कर नई सृष्टि, नई दुनिया बनाने में जुटा है। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप मानव शरीर के प्रत्येक अंगों- नाक, कान, आँख, चेहरा सबको सजाया, सँवारा और परिवर्तित किया जा

31

सकता है; यही नहीं हृदय जैसे अवयव को उसके खराब होने पर शरीर से बाहर निकालकर, पुनः उसे ठीक कर शरीर में स्थापित किया जा सकता है।

लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इसी हृदय से प्यार, दया, मानवता, श्रद्धा, भवित्ति, ममता, सहानुभूति आदि अनेक मानवीय गुण जो आचरण निर्माण के लिए नींव की ईंटों की तरह होती हैं, जिनसे वास्तविक रूप से मानव का निर्माण होता है, उसका उत्थान होता है, लुप्तप्रायः होती जा रही है और आज का भौतिकवादी मानव धनोपार्जन में इस बुरी तरह संलिप्त है कि उसे ज्ञात ही नहीं कि वह इस दौड़ में कहाँ भटक गया है? कहाँ खो गया है उसके जीवन का प्रकाश? दिशाविहीन यह मानव इन बाह्य आड़बरों की लपेट में खो रहा है अपना अस्तित्व।

आज का अंधकार कल का सुप्रभात न होने देगा, यदि आज का बचपन यूँ ही भटकता रहा तो आज का बालक कल का निर्माता न बन पाएगा। आधार खोखला रह गया तो सुंदर, सुदृढ़, भवन-निर्माण की कल्पना कैसी? दिशाविहीन ये बालक माँ की ममता भरी गोद, पिता की वात्सल्य भरी छत्रछाया से वंचित है। मध्यम वर्ग धन जुटाने की लगन में भूल गया, बच्चों के प्रति अपने दायित्व को, दो वक्त की रोटी जुटा देना, कपड़े दे देना मात्र ही वह अपना कर्तव्य समझ बैठा है। फिर उच्च वर्ग का तो कहना ही क्या? पिता को अधिकाधिक धनोपार्जन की चिंता, माँ को सज-सँवर कर कलबों, सिनेमा, पार्टी में जाने, अपने आपको आधुनिक समाज की आधुनिक नारी कहलाने की लालसा ने उसे मात्र अपने अहम के दायरे तक सीमित करके रख दिया है, उन्हें नहीं पता उनके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? कब घर आते हैं? किसकी संगति करते हैं? अच्छे-बुरे की पहचान से अनभिज्ञ बच्चा जब यौवन की दहलीज पर पैर रखता है तो बाह्य चकाचौंध उसे सही दिशा-निर्देश नहीं दे पाती, उसके संवेगों का उचित उन्नयन नहीं हो पाता और उसका परिणाम हमारे समक्ष है। आज की युवा पीढ़ी

कुंठाओं से ग्रस्त, मानसिक तनाव लिए उन आदतों का शिकार होती चली जा रही है, जो उन्हें इस देश की सम्यता और संस्कृति से दूर कर रही हैं। नशीले मादक पदार्थों का उपयोग आज इतना बढ़ गया है कि कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी शराब, भाँग, चरस, गाँजा, स्मैक लेने की आदतों से ग्रसित होते चले जा रहा हैं। आज यह बीमारी तीव्र गति से संक्रामक रोग का रूप धारण करती जा रही है। यदि समय पर इनकी रोकथाम न की गई तो देश के भविष्य को यह खोखला कर डालेंगे। फिर किस प्रकार उसके समुज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है? यही नहीं इनकी वजह से अनुशासनहीनता जैसी बुराइयाँ भी बल पकड़ती जा रही हैं।

आज आवश्यकता है माता-पिता, शिक्षकों को जागरूक करने की, अपने दायित्व को पहचानने की, बच्चों में उन संस्कारों को भरने की, जिससे बालक सही अर्थों में सुसंस्कृत, सम्य, सुसंगठित राष्ट्रभक्त हो सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, आगे चलकर सशक्त राष्ट्र का निर्माता बन, उसका भार अपने कंधों पर वहन कर सके। प्रेम, दया, त्याग, सहानुभूति, सेवा, वीरता आदि सदगुणों से सुशोभित होकर भारत-भू के ललाट को समुज्ज्वल और समुन्नत कर सकें। बालक का सही मार्ग-निर्देशन होगा, उसका नैतिक स्तर उन्नत होगा, सुंदर चरित्र बनेगा, तभी देशोत्थान होगा। चरित्र उन गुणों का समूह है जिनके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, संस्कृत का एक श्लोक है—

आचारं परमो धर्मः नृणां यस्करां महान् ।

इहलोकं परकीर्तिः परत्रं परमं सुखम् ॥

उत्तम आचरण का निर्माण संस्कारों को देकर किया जा सकता है। सर्वप्रथम माता-पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें। जब संगठित परिवार होते थे, नानी माँ या दादी माँ बच्चे को अंक में लेकर, सुकोमलता, सुंदरता, मानवता, वीरता, त्याग की भावना सिखाने वाली, अनेक गुणों का उजागर करने वाली कहानियाँ सुना-सुनाकर, उनमें

33

सदगुण युक्त संस्कार देने का प्रयास करती थीं। यही नहीं मातायें गर्भावस्था के समय अच्छे विचार सुनने-पढ़ने का प्रयास करती थीं, सद-साहित्य को पढ़ा, सद आचारण, विचारों की शुद्धता बनाए रखना प्रथम कर्तव्य मानती थीं, ताकि जन्म लेने वाले शिशु में वे उत्तम संस्कार भर सकें। यहाँ तक कि स्तनपान के समय भी मातायें अपने मन के शुद्ध विचारों द्वारा बच्चों में संस्कार भरती थीं। आज जबकि विच्छिन्न परिवार हैं, वहाँ माता-पिता का दायित्व अधिक बढ़ गया है, व्यस्त जीवन में से थोड़ा-सा समय निकालकर, यदि यह कार्य माता-पिता कर सकें, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बच्चे में संस्कार भरने में बाधक हो सके। तत्पश्चात् शिक्षक इस कार्य को करें। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। बालक कच्ची मिट्टी की वह कलाकृति है जिसको अभिभावक जैसा चाहें, अपने कुशल हाथों से आकार दे सकते हैं और शिक्षक उन्हें ज्ञान की भट्टी में पकाकर सुंदर चारित्रिक गुणों से अलंकृत करता है।

माता-पिता से भी अधिक बालक के मन पर गुरु की बात का प्रभाव पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि यदि गलती से कभी अध्यापक गलत बात भी बता दे तो बच्चा उसे भी सत्य मानकर ग्रहण करता है। जब तक अध्यापक स्वयं ही अपनी गलती का सुधार नहीं कर लेता, तब तक बालक के सम्मुख उसे सही जानकारी देने के सब तर्क विफल हो जाते हैं। अतः यह कार्य भी एक आदर्श अध्यापक ही कर सकता है। गुरु को श्रेष्ठ पदवी दी गई है, बिन गुरु ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु को तो भगवान से भी बढ़कर माना गया है।

संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें अपने माता-पिता, गुरुजनों से सच्चरित्रता धरोहर में प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी, पं. जवाहरलाल नेहरू आदि सभी पर उनके पारिवारिक संस्कारों की अमिट छाप है। माँ के प्यार में और पिता के संरक्षण में ही शिशु जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करता है। नीतिकार ने भी कहा है—

34

माताशत्रु पितावैरी येन बालो न पारितः ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥

अर्थात् वे माता-पिता संतान के शत्रु हैं जो बच्चों को सुसंस्कार नहीं दे पाते और उनके बालक प्रतिष्ठित समाज में उसी प्रकार उपेक्षित हो जाते हैं जैसे हंसों में बगुला ।

पिता से बढ़कर माँ का कर्तव्य इस ओर अधिक बनता है । मातृशक्ति को राष्ट्र की आधार शक्ति माना गया है, स्वस्थ समाज का गठन स्त्री शक्ति तथा गुरु शिक्षा द्वारा ही संभव है, स्वस्थ समाज के द्वारा सशक्त राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है । राष्ट्र और समाज को बनाने के लिए सुसंस्कृत, अनुशासित, सबल, सुंदर व्यक्तित्व के सर्जन की, और व्यक्तित्व की रचना का दायित्व है, अभिभावकों और शिक्षकों का । बालक के जीवन के दोनों ही आदर्श हैं, घर में माता-पिता का व्यवहार, आचरण, चारित्रिक सदगुण, सच्चाई, ईमानदारी, धर्म में आस्था, बड़ों का आदर-सम्मान, छोटों से स्नेह का व्यवहार आदि सदगुण जैसे नैतिक गुण बालक के जीवन पर गहन प्रभाव डालते हैं । जो माता-पिता बच्चों से तो सत्य बोलने की अपेक्षा करते हैं किंतु स्वयं रात-दिन झूठ बोलते हैं, उनका बच्चा भला किस प्रकार सत्य बोल सकता है? पिता अनुचित तरीके अपनाकर धन कमाता है और बच्चों को इनसे दूर रहने, ईमानदारी से पैसे कमाने की नसीह । देता है, तो क्या उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा? क्या बालक सही ढंग से पैसे कमाने के तरीके जान पाएगा? पिता में चारित्रिक हीनता है तो उनके दिए उपदेश का बालक कहाँ तक पालन करेगा? ठीक यही हाल घर से बाहर निकलकर पाठशाला का है, आस-पास के वातावरण, समाज और गुरुजनों का है । शिक्षक शिष्यों को समय पर आने को कहता है और स्वयं कभी समय पर नहीं आता । बच्चों को अनुशासन में रहने को कहता है और समय अनुशासन तोड़ता है, कक्षा में पढ़ाने नहीं आता, पाठशाला में अपने घर के काम करता रहता है, परीक्षा परिणाम अच्छे देने के लिए परीक्षा में नकल करवाता है, प्रश्नपत्र जाँचता है तो

35

रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है आदि । ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं, बच्चा क्या वो सब सीख सकता है जिसकी आप आशा करते हैं, कदापि नहीं— उसके दोनों आधार स्तंभ चरमरा रहे हैं, क्षीण हैं, तो किसका सहारा लेकर वह जीवन-भवन का निर्माण करेगा? कहाँ है उसका प्रकाशपुंज? कहाँ है उसका मार्गदर्शक? कहाँ हैं उसके आदर्श माता-पिता तथा गुरु, जो उसके जीवन पथ को आलोकित कर सकें, सही मार्ग दिखा सकें ।

आज बचपन भटक रहा है, उत्तम संस्कारों से विहीन बालक वैशाखियों का सहारा ढूँढ़ रहा है, अंधकार में अपना प्रकाश टटोल रहा है— उसके भविष्य को अंधकारमय होने से बचाओ— राष्ट्र का निर्माता झूब रहा है, उसे बचाओ । जागो, संस्कारों के प्रणेता जागो— समय है बचा लो अपने बच्चों का, राष्ट्र का भविष्य । होने दो उसके जीवन में सुनहरा प्रभात । आज जरूरत नहीं है धन के अंबार लगाने की, आज के समय की पुकार है, हृदय की अथाह गहराई से मानवीय गुणों के उन मनकों (मुक्ताओं) को निकाल बाहर लाने की, जो मानव-जीवन को सुशोभित करते हैं, मानव को मनुष्य बनाते हैं, देखा जाए तो वास्तव में बाल दिवस मनाने का प्रयोजन तभी सिद्ध होगा जब सही अर्थों में बालोत्थान उत्तम संस्कारों द्वारा होगा । अन्यथा भौतिक विकास की इस दौड़ में बचपन बिना संस्कार के बड़ा हो जाएगा और मानव संस्कार-रहित मशीन की तरह संवेदना-शून्य होकर कार्य करेगा । इसलिए आज संस्कारवान शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है । इसे संस्कारवान शिक्षक ही प्रदान कर सकता है और कोई नहीं । समय रहते ही हमें जाग्रत होने की जरूरत है । वयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः यही समय की माँग है ।

कृषि विज्ञान : ज्ञान का महत्वपूर्ण स्तंभ

कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान'

प्रगति का आधार नवीनतम ज्ञान-विज्ञान होता है। धन से ज्यादा ज्ञान आवश्यक है। कम धन से काम चल सकता है पर कम ज्ञान से नहीं। हमें अधिकाधिक विज्ञ होना ही चाहिए ताकि सामयिक तथ्यों से परिचित हो सकें और जो ज्ञान-भंडार उपलब्ध है उसका लाभ उठा सकें। यह प्रयोजन आवश्यक विषयों की पुस्तकें ही पूरा कर सकती हैं। ग्रामीणों को उदयोगी और कुशल क्रियाशील होना चाहिए, साथ ही अध्ययनशील भी। आज संसार एक गाँव का रूप ले चुका है। सांसारिक गतिविधियों की जानकारी जरूरी है। रूस, चीन आदि कई देशों के भ्रमण के पश्चात् पुष्ट हुआ कि संसार के प्रायः सभी देशों के नागरिक अध्ययनशील होते हैं। जापान जैसे छोटे से देश में समाचार पत्र इतनी अधिक संख्या में छपते और पढ़े जाते हैं जिसे जानकर भारी आश्चर्य होता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रयत्नशील लोग ज्ञान संपदा से सुसंपन्न होने की कितनी अधिक आवश्यकता समझते हैं और उसकी पूर्ति में कितना अधिक उत्साह रखते हैं। विकसित देशों के गाँवों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि एक ही गाँव में कई निजी और सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। पाठ्य-सामग्री के साथ-ही-साथ इंटरनेट आदि की आधुनिक व्यवस्था भी है। इसमें कृषि, ग्रामीण उदयोग और उससे जुड़े विश्व-व्यापार में जो नई बातें आ रही हैं उन्हें अपनाकर ही ग्रामीण उन्नति कर सकते हैं।

37

भारत के गाँव हरित क्रांति के अग्रणी रहे। अन्न, फल, दूध में आत्मनिर्भर हुए। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष रहे। इन पर बहस चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि में परिषद् की पत्र-पत्रिकाओं में ये बहसें छपती रहती हैं। हिंदी-अंग्रेजी की कई पत्रिकाएँ खेती, उन्नत कृषि, आधुनिक-किसान, फल-फूल आदि के बारे में काफी उपयोगी जानकारी देने वाली हैं। साथ ही हर विषय पर पुस्तकें प्रकाशित हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कृषि विश्वविद्यालयों और कई सरकारी संस्थानों के द्वारा भी की गई है। इस प्रकार के तंत्र समूचे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तो जिला स्तर तक आ गया है। इसका स्थाई लाभ कृषि पुस्तकालय से ही प्राप्त हो सकता है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और उपयोगी जानकारियों का दायरा बढ़ा है। उनसे अपरिचित रहकर हम पिछड़े बने हुए हैं और अपनी ही हानि कर रहे हैं। आज के प्रगतिशील युग में सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विषयों की जानकारी भी उतनी ही आवश्यक हो गई है जितनी कि शरीर, मस्तिष्क, परिवार और व्यवसाय का संतुलन बनाए रखने के लिए सामयिक दिशा धाराओं की प्रवीणता।

एक किसान के नाते मैं गाँव में किसी की संपन्नता एवं सुरुचि, उसके वस्त्र, उपकरण, फर्नीचर, मकान आदि देखकर खुश नहीं होता। वरन् देखता हूँ कि उस परिवार का पुस्तकालय कितना संपन्न है। प्रगतिशील ग्रामीण की सुरुचि का पता लगाने का यह पैमाना है कि उसकी अध्ययन में रुचि कितनी है। देश में प्रगतिशील किसानों की एक बड़ी फौज है। यहाँ प्रगतिशील होने का पैमाना उत्पादन या अधिक आमदनी है। हम मानते हैं कि उत्पादन जरूरी है। देश की विशाल आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करना है, पर इसके नाम पर अंधाधुंध रसायन का प्रयोग हो, खाद्य सामग्री विषैली हो, यह कहाँ तक उचित है? पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, सोच समृद्ध और सर्वांगीण हो। प्रकृति, संरक्षित का संरक्षण हो। आज ग्रामीण

पर्यावरण शहर से कम प्रदूषित नहीं है। यह मेरा पाँच दशकों की खेती का अनुभव है। आज वैज्ञानिक स्तर से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आदि की बातें की जा रही हैं। ग्रामीण इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मानसिक समझ से ही दूसरी हरितक्रांति संभव होगी। इस हेतु अध्ययन, मनन, चिंतन जरूरी है। हर ग्रामीण को एक से दो घंटे अध्ययन, स्वाध्याय में लगाना चाहिए। तभी हम अच्छे परिणाम दे पाएँगे। सामग्री काफी आ रही है पर उनका संग्रह नहीं हो पा रहा है। संग्रह भी वही करते हैं जो खेती नहीं करते। गाँव में नहीं रहते। उनकी गृहस्थी का आधार सरकारी खजाना है।

गाँव में चरित्र और चिंतन प्रदूषित हुआ है। इसमें बदलाव जरूरी है। मनीषियों का चिंतन एवं अनुभवों का सार उनकी पुस्तकों में मौजूद है। वे अब इस संसार में भले ही न हों तो भी उनकी पुस्तकों के द्वारा उनका सत्संग घंटों तक अपनी सुविधा के किसी भी समय तथा कितनी ही देर तक करते रहना संभव है। इससे गाँव में एक सकारात्मक महौल बन सकेगा।

हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपना अध्ययन कक्ष होता है। वे अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी अपनी रुचि के विषयों का अध्ययन करने के लिए समय निकालते हैं। स्वर्गीय नेहरू अपने प्रधानमंत्री काल में कितने व्यस्त थे। फिर भी उनके निकटस्थ व्यक्ति बताते हैं कि गई रात में किसी-न-किसी प्रकार उपयोगी ज्ञान संचय की आवश्यकता समझते हुए प्रायः बिना नागा अध्ययन का समय निकालते थे। ठीक यही रीति-नीति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती रही है। वे पढ़ने की आवश्यकता समझते रहे हैं और उसके लिए हर परिस्थिति में किसी-न-किसी प्रकार समय निकालते रहे हैं। ग्रामीण किसानों को यह बात समझाने पर वे कहते हैं कि "समय नहीं है। गाँव-गाँव धूमने पर लगता है कि समय काफी है। हमारे यहाँ लोग चौपाल में तंबाकू बीड़ी आदि का सेवन करते रहते हैं। ताश आदि खेलते रहते हैं। यह समय या जीवन का अपव्यय है। इस

39

खाली समय का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। इससे देश मजबूत होगा। नकारात्मकता समाप्त होगी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रक्रिया का अनुकरण करके अपने-अपने कारोबार में युग अनुरूप ज्ञान से अवगत रहने की आवश्यकता समझनी चाहिए और अपने यहाँ घरेलू पुस्तकालय के लिए प्रबंध करना चाहिए। घर के लोगों में पढ़ने की आदत उत्पन्न करना प्रत्येक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है। इसके बिना पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष अधूरा ही रह जाता है एवं प्रकारेण आधुनिक युग में कृषि-विज्ञान एक महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया है। भारत की मूल आबादी गाँवों में बसती है और ग्रामों की जीविका का मूल आधार कृषि है।"

अब परंपरागत कृषि से काम चलना तथा ग्रामीण किसानों का भला होना संभव नहीं है। कृषि, ग्राम एवं भारत को विकासोन्मुख बनाने के लिए विज्ञान का सहारा लेना होगा। गाँव के किसानों को कृषि के उन्नत यंत्र, पशुपालन के गुण तथा पशु-रोगों की प्राथमिक चिकित्सा, कृषि के वैज्ञानिक शस्य-प्रणाली आदि की जानकारी रखनी होगी। उन्नत कृषि-यंत्र, उन्नत तथा जैविक खाद, बीज, रसायन के साथ हर किसान को एक निजी पुस्तकालय भी रखना चाहिए जिसमें वैज्ञानिक कृषि की विभिन्न पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह हो। कृषि-विज्ञान में विभिन्न प्रयोग होते हैं जिनमें किसानों द्वारा प्रयुक्त करने पर कभी-कभी अंतर आ जाता है— समस्या भी आ जाती है। अतः कृषि-वैज्ञानिकों तथा ग्रामीण किसानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों का सहभागी किसान को भी बनाना होगा। तब ही विकास सफल हो पाएगा।

विकासोन्मुख वैज्ञानिक कृषि ही भारत को विकसित बनाएगी।

कश्मीर विलय कुछ अनकहे - अनसुने प्रसंग

सतीश चंद्र सक्सेना

जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में वर्ग-बी के अंतर्गत 500 से अधिक रजवाड़े और छोटी-बड़ी रियासतें थीं। इनके बारे में अंग्रेज यह निर्देश दे गए कि वे अपनी मर्जी के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। भारत के एकीकरण और इसे एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने में भारत के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका अत्यंत सराहनीय और अविंस्मरणीय रही। उन्होंने अपनी सूझ-बूझ और अथक प्रयासों से जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए राजी कर लिया और उनके नरेशों से विलय-प्रपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। समझाने-बुझाने पर बाद में जूनागढ़ के नवाब भी भारत में विलय के लिए सहमत हो गए। सरदार पटेल को हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी जिसे "पुलिस एक्शन" की संज्ञा दी गई। स्थानीय मिलीशिया ने थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया परंतु 3-4 दिन में उन्होंने भी हथियार डाल दिए। अंततः विवश होकर निजाम ने भारत संघ में विलय-प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

41

25 HRD/114 - 4A

कश्मीर की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी हुई थी। 2011 को गाँधी जयंती के अवसर पर श्रीनगर से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'ग्रेटर कश्मीर' में इस विषय पर एक रोचक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया था। इस लेख के लेखक श्री अब्दुल मजीद जरगर हैं। जरगर कहते हैं कि "कश्मीर के तत्कालीन नरेश महाराजा हरीसिंह (डॉ. कर्ण सिंह के पिता) इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही नापसंद करते थे तथा कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहते थे। वे भारत व पाकिस्तान से इस विषय पर एक अस्थाई करार चाहते थे। पाकिस्तान ने तो करार पर हस्ताक्षर कर दिए परंतु भारत, हस्ताक्षर के लिए सहमत नहीं हुआ। महाराजा ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला के दादा) को भी लीगी होने के आरोप में नजरबंद कर रखा था। जवाहरलाल नेहरू को महाराजा के इरादे का आभास हो गया था। वे अपने अंतरंग मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को छुड़ाना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि महाराजा, कश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित न करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे कश्मीर जाकर महाराजा से भेंट करना चाहते थे। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को छुड़ाने के लिए एक वर्ष पहले कश्मीर की यात्रा की थी और उन्हें डोमेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु, लार्ड माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि नेहरू जी महाराजा हरीसिंह से भेंट करें। अतः वे स्वयं 18 जून 1947 को महाराजा से भेंट करने कश्मीर गए और वहाँ चार दिन ठहरने पर भी महाराजा से इस विषय पर ढंग से चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने या तो स्वयं की बीमारी का बहाना बनाया अथवा लार्ड माउंटबेटन को सैर-सपाटे के लिए भेज दिया। बाद में, लार्ड माउंटबेटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लार्ड हेसलिंग्स को कश्मीर भेजा। दोनों ही मुलाकातें असफल रहीं क्योंकि महाराजा ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि वे कश्मीर को स्वतंत्र राज्य

घोषित नहीं करेंगे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो।"

अंततः यह निर्णय लिया गया कि समस्या के निवारण हेतु महाराजा से भेट करने के लिए महात्मा गांधी कश्मीर जाएँ। उन्होंने 31 जुलाई से 2 अगस्त 1947 तक कश्मीर की यात्रा की। हालांकि, बारामूला में उनका विरोध हुआ, फिर भी महात्मा गांधी 1 अगस्त 1947 को महाराजा हरीसिंह से मिलने में सफल हुए और उनकी महारानी तारा देवी से भी लंबी चर्चा हुई। लंबे विचार-विमर्श के बाद महात्मा गांधी ने महाराजा हरीसिंह को भारत में विलय के लिए लगभग राजी कर लिया और इस प्रकार उनका "मिशन कश्मीर" सफल हुआ।

बाद में, घटनाक्रम में तेजी से परिवर्तन हुए। कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री रामचंद्र काक, जो स्वतंत्र कश्मीर के पक्षधर थे, को 18 अगस्त 1947 को बर्खास्त कर दिया गया। उनके स्थान पर श्री जनक सिंह की ओर फिर उसके बाद भारत के प्रति निष्ठावान श्री मेहरचंद महाजन की नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं भारत की आर्थिक सहायता से जम्मू-कश्मीर में कई विकास योजनाएँ लागू हुई। वातावरण अनुकूल होने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने भी महाराजा से भेट की। कश्मीर की सेना से अंग्रेज अधिकारियों को भी हटा दिया गया। कुछ समय बाद 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को भी मुक्त कर दिया।

एक अन्य विवरण के अनुसार पाकिस्तान को भी भारत की गतिविधियों की भनक पड़ गई और उसने अपनी सेना को सादे पोशाक में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उन्हें "रेडर्स" कहा गया। रावलपिंडी से मरी होते हुए कश्मीर पहुँचना आसान था। अतः ये रेडर्स बारामूला तक पहुँच गए। महाराजा की डोगरी सेना उन्हें नहीं रोक पाई। महाराजा ने भारत से सैन्य हस्तक्षेप

43

का अनुरोध किया। महाराजा का अनुरोध स्वीकार करने से पहले सरदार पटेल ने उनसे भारत में कश्मीर के विलय-प्रपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। भारतीय सेना ने कश्मीर पहुँचकर रेडर्स को पीछे खदेड़ना शुरू किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर पर यू.एन.ओ. के युद्ध-विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यदि भारतीय सेना को कुछ समय और मिल जाता तो शायद न आजाद कश्मीर होता, न एल.ओ.सी. होती तथा न घुसपैठ और न आतंकवाद होता। इतना खून-खराबा भी नहीं होता जो आज भी जारी है। खैर, यह एक लंबी कहानी है जिसका यहाँ उल्लेख करना न तो संभव है और न ही उचित।

कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर का वजीर-ए-आजम और महाराजा को सदर-ए-रियासत घोषित किया गया। महाराजा हरीसिंह के निधन के बाद उनके पुत्र महाराजा कर्णसिंह सदर-ए-रियासत बने।

इस प्रसंग में एक घटना याद आ रही है जो संभवतः 1950 के आसपास की है। उस समय मेरी आयु 12-13 वर्ष की रही होगी। ग्वालियर में नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के आगमन पर एक जनसभा आयोजित हुई। इन दोनों नेताओं को देखने के लिए मैं भी अकेला कम्पू ग्राउंड गया। कुछ अधिक तो समझ में नहीं आया परंतु इतना अच्छी तरह याद है कि भाषण की समाप्ति पर शेख अब्दुल्ला ने कहा, "कश्मीर जवाहर लाल का है और जवाहर लाल का ही रहेगा।"

कुछ वर्षों बाद आभास हुआ कि शेख अब्दुल्ला की कुछ गतिविधियाँ राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। अतः सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया और फिर बाद में उन्हें और उनकी बेगम को तमिलनाडु में स्थित हिल स्टेशन कोडई कैनाल में एक बंगले में नजरबंद कर दिया। यहीं

उन्होंने अपने जीवन के 6-7 वर्ष गुजारे। शेख अब्दुल्ला को हटाने के बाद उपप्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद वजीर-ए-आजम नियुक्त हुए जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद सैयद मीर कासिम को वजीर-ए-आजम बनाया गया और आगे भी यही क्रम चलता रहा। बाद में, संविधान में संशोधन करके कश्मीर के वजीर-ए-आजम को भारत के अन्य राज्यों की भाँति मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया और सदर-ए-रियासत के स्थान पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने लगे।

उपर्युक्त विवरण में कश्मीर के भारत में विलय से संबंधित अतीत के कुछ विस्मृत प्रसंगों को उजागर करने का प्रयास किया गया है जिनसे संभवतः नई पीढ़ी अवगत नहीं है।

45

कैंसर

डॉ. के. ए. रामचंद्रन

सामान्य रूप से कैंसर शब्द का प्रयोग सैकड़ों प्रकार व उपप्रकार के संघातक गांठ (अर्बुद) के लिए किया जाता है। इस रोग में शरीर के किसी भी ऊतक कोशिकाओं की यह विशेषता होती है कि वह एक बार होने पर इतना बढ़ता है कि बढ़ता ही चला जाता है, रुकता नहीं। जहाँ कैंसर होता है, वहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है, जहाँ फैलता है वहाँ पर बढ़ने लगता है। वह मेजबान पर आक्रमण करके उसे अपना शिकार बना लेता है। वृद्धि के बाद वह स्वयं अमर्त्य हो जाता है। यह वृद्धि सामान्य नहीं होती, अपसामान्य होती है।

कैंसर पीड़ितों की संख्या में इधर भयावह वृद्धि हुई है, ऐसा पिछले कुछ दशकों में ही हुआ है। इसका कारण मुख्य रूप से हमारी जीवनशैली में बदलाव है या विषाक्त पर्यावरण है।

औषध-विज्ञान की वह शाखा जो कैंसर जैसी व्याधि का गहन रूप से अध्ययन करती है और हमें समय-समय पर उसके विषय में जानकारी देती है उसे 'ओंकोलॉजी' कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है— 'ओंकोस' का मतलब ट्यूमर (गाँठ) होता है। अक्सर ट्यूमर शब्द का उपयोग संघातक कैंसर के लिए ही किया जाता है।

46

कैंसर कैसे होता है? इस पर काफी विवाद है। फिर भी यहाँ हम उसकी चर्चा कर इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। आज यदि मनुष्य की मृत्यु के प्रमुख कारणों पर विचार किया जाए तो कैंसर दवितीय स्थान पर है। पाश्चात्य देशों में हृदय-रक्तवाहिका संबंधी व्याधियाँ प्रथम स्थान पर हैं। महामारी-विज्ञान के विभिन्न अध्ययन हमें सही रूप से बता पाएँगे कि कैंसर का प्रकोप और उसका विभाजन किस प्रकार होता है? यह आयु, लिंग, सामाजिक स्तर, भूगोल के हिसाब से किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं—

संक्रमण

- हयूमन पैपिलोमा वायरस (नं. 16-18) : गर्भाशय ग्रीवा (सरवाईकल) कैंसर (स्त्रियों में)
- सिस्टोसोमियासिस : मूत्राशय का कैंसर

आनुवंशिक

- स्तनों का कैंसर जीन : स्तन एवं अंडाशय कैंसर (स्त्रियों में)
- वंशानुगत कोलोरेक्टल : कोलन और एण्डोमीट्रियल कैंसर (कैंसर जीन)

जीवनशैली संबंधित

- तंबाकू : फेफड़ों व मूत्राशय कैंसर
- मदिरा : आमाशय नली कैंसर

व्यावसायिक

- एसबेर्स्टस : प्लूराल-मीजोथीलियोमा
- एनीलीन डाई : मूत्राशय कैंसर
- अल्ट्रावायलेट किरणें : त्वचा का कैंसर

बीड़ी-सिगरेट और अन्य सभी प्रकार के धूम्रपान से फेफड़ों के कैंसर का जन्म होता है। इस बात को वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार योनिद्वार का कैंसर, कुछ विशिष्ट

47

प्रकार के वंश वाले 'हयूमनपैपिलोमा विषाणु' के कारण होता है। अधिकांश कैंसरों की रोकथाम संभव नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि इनका जल्द-से-जल्द पता लग जाए तो उसका उपचार संभव है। यदि कैंसर का निदान लाक्षणिक रूप से किया जाए तो अनियंत्रित रूप से फैल जाने की रामावना बढ़ जाती है। अतः उसे शुरुआत में ही जल्दी से ढूँढ निकालना होगा। ऐसा तब हो सकता है जब अलाक्षणिक जनआबादी में इनकी जाँच करके उन्हें पकड़ा जाए। अधिक-से-अधिक शुरुआती कैंसर को ढूँढ निकालने पर ही कैंसर अनियंत्रिक रूप से नहीं फैलता। आबादी को निरीक्षण की छलनी से छान लेना ही उचित उपाय है।

संघाती कैंसर	निरीक्षण का तरीका
(1) छाती/स्तनों का कैंसर	मेमोग्राफी जाँच
(2) योनिद्वार का कैंसर (स्त्रियों में)	सरवाईकल स्मिअर/पैप स्मिअर साईटोलॉजी
(3) प्रोस्टेट कैंसर (पुरुषों में)	सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन (पी.एस.ए.) का स्तर
(4) कोलोरेक्टल कैंसर	सिंग्माइडोस्कोपी, जो कि एक लचीले औजार से की जाती है।

चिकित्सीय प्रस्तुति (क्लीनिकल प्रेजेन्टेशन) : कैंसर किसी भी प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत कर सकता है, स्थानीय रूप से या फिर पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है।

कैंसर के लक्षण

1. रक्तस्राव : उल्टी में खून का आना, आमाशय कैंसर का; छाँसी के बाद खून का आना, फेफड़ों के कैंसर का; स्त्रियों में योनि द्वार से माहवारी के समय अनियमित रक्तस्राव आना, योनि द्वार के कैंसर का द्योतक है। गुर्दे और मूत्राशय का कैंसर होने पर मूत्र में रक्त आता है।

2. मांसपिंड का महसूस होना : स्तनों के कैंसर में (स्त्रियों में), अंडकोश में मांसपिंड (पुरुषों में); लिम्फग्लैंड / लसीका ग्रंथि का फूल जाना कैंसर का प्रमाण हो सकता है।

3. व्रण (अल्सर) : भोजन नली, आमाशय, एनोरेक्टल क्षेत्र या त्वचा में यदि व्रण हो और लंबे समय तक विद्यमान रहे तो कैंसर का खतरा हो सकता है।

4. रुकावट / प्रतिरोध के लक्षण : यदि लंबे समय से खाँसी हो तो फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि खाना निगलने में दिक्कत हो तो भोजन नली का कैंसर हो सकता है।

5. फोड़ा / दर्द : हड्डियों के कैंसर में दर्द होता है।

6. असामान्य सूजन : महिलाओं में अंडाशय कैंसर, आमाशय कैंसर व पेट में पानी भर जाना अंदर के अवयवों के कैंसर का द्योतक है। ये सब असामान्य सूजन हैं, कैंसर का खतरा हो सकता है।

7. अस्थिभंग या फ्रैक्चर : जब कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है तो द्वितीयक लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे स्तन, फेफड़े और थायरॉयड के कैंसर का पहला लक्षण अस्थिभंग या फ्रैक्चर भी हो सकता है।

पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला विशिष्ट लक्षण

वजन का कम होना, भूख न लगना ये सब पाचन तंत्र प्रणाली के कैंसर में होता है। थकान, सभी प्रकार के कैंसर में महसूस होती है।

कैंसर की शुरुआत डी.एन.ए. के परिवर्तन के कारण भी होती है। यह परिवर्तन कम-से-कम एक कोशिका में होना चाहिए, जो उसके बाद सामान्य नहीं रह पाता। यही कोशिका अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती है, करती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती। नुकसान मेजबान के शरीर के ऊतकों को होता है जिसके सारे पोषक तत्व यह कैंसर कोशिका लगातार खींचती चली जाती है। इन कैंसर कोशिकाओं की यह खासियत होती है कि वे घुसपैठ की आदत से लाचार होती हैं।

49

स्थानीय रूप से तो अपसामान्य वृद्धि होती ही है लेकिन सभी सीमाओं को पार करके वे दूरस्थ स्थानों पर भी फैल जाती हैं जिसे हम 'मेटास्टेसिस' कहते हैं।

एक बार कैंसर का निदान (डायग्नोसिस) हो जाए तो रोगी के मन में कई बातों को लेकर प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न अक्सर भोजन, व्यायाम, दैनिक गतिविधियों को लेकर होते हैं। उनके भोजन में पोषक तत्वों को जोड़ना महत्वपूर्ण होता है ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकें, अपनी उम्र बढ़ा सकें, किसी चमत्कार की अपेक्षा में कोई ऐसी नहीं होती जड़ी-बूटी जो कम समय में उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिला सके। उनका मन कई बातों की लेकर विवश हो जाता है।

कैंसर का उपचार व स्वास्थ्य लाभ – मुख्य रूप से कैंसर का उपचार इस प्रकार होता है :-

1. शल्यचिकित्सा,
2. रेडियोथर्पी किरणों के द्वारा (रेडियोथिरेपी)
3. रसायन उपचार (कीमोथिरेपी)

ये उपचार रोगी की भोजन व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि अक्सर इनके कारण पाचन-शक्ति और रोगी को दिए गए भोजन के अवशोषण पर प्रभाव पड़ता है। एक तो कैंसर में ही रोगी परेशान रहता है, दूसरे उपचार शुरू करने के बाद उन उपचारों की वजह से शरीर का पोषण, शारीरिक कमजोरी भी अपना प्रभाव डालती है। मुँह का स्वाद बदल जाता है, और पेट का हाजमा बिगड़ जाता है। अतः ऐसे रोगी को मात्रा में अधिक भोजन न देते हुए, कम मात्रा में अधिक पोषक-तत्व वाले भोजन बार-बार देना चाहिए।

कैंसर की रोकथाम के लिए पोषण और शारीरिक सक्रियता के दिशानिर्देश

- (क) 1. इसके लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन जो पेड़-पौधे और वनस्पतियों से प्राप्त हों।

2. चार-पाँच बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फल-सब्जियाँ खाएँ।
3. खाने में साबुत दालों का प्रयोग करें। बहुत अधिक परिशोधित खाने की चीजों का इस्तेमाल न करें।
4. लाल मौस, और वो भोजन जिसमें अत्यधिक वसा की मात्रा हो, न खाएँ।

- (ख) अपनी जीवनशैली बदलें। शारीरिक सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। वयस्कों को लगभग 30 मिनट प्रतिदिन और 5 दिन प्रति सप्ताह तेजी से चलना चाहिए। यदि औसतन 45 मिनट चलें तो स्तनों के कैंसर का या फिर आँतों के कैंसर का खतरा कम हो जाएगा।
- (ग) अपना शारीरिक वजन नियंत्रित रखें।
- (घ) शारीरिक सक्रियता के अनुपात में भोजन की कैलोरी का हिसाब लगाकर खाएँ।
- (ङ) यदि वजन ज्यादा है तो उसे कम करें।
- (च) जहाँ तक हो सके शराब का सेवन न करें या कम-से-कम करें।
- (छ) हरी सब्जियों में 'फाईटोकेमिकल' होते हैं। ये उनके रंगों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। अतः सब्जियाँ खरीदते समय यह भी ध्यान रखें।

चूँकि 'कीमोथिरेपी' शरीर की रोगाणुरोधन क्षमता को कम करती है अतः संक्रमण का आक्रमण बढ़ सकता है अतः कच्ची सब्जियों के बजाय सब्जियों को उबालकर या पकाकर खाएँ।

आहारिक अनुपूरक

कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कैंसर के उपचार के उपरांत मल्टीविटामिन खाने से निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होता है। स्तरीय विटामिन की गोलियों में शत-प्रतिशत आवश्यकता के अनुरूप विटामिन विद्यमान होती है। चूँकि कैंसर होने पर व्यक्ति भली-भाँति भोजन नहीं कर सकता, या फिर उपचार के दौरान दस्त, उल्टियाँ, भूख न लगने के

51

कारण ये विटामिन जिन्हें 'माईक्रोन्यूट्रियेंट' कहते हैं उनका अवशोषण ठीक से नहीं होता अतः उन्हें औषध रूप में देना आवश्यक है।

सामान्य निर्देश

1. भोजन से पहले हाथ-पैर भली प्रकार धोएँ।
2. भोजन सामग्री को साफ-सुथरा रखें। फल-सब्जी इत्यादि को काटने से पहले भली प्रकार धोएँ।
3. कच्चे मौस मछली, चिकन, अंडे आदि की सफाई पर विशेष ध्यान दें।
4. रसोई को साफ-सुथरा रखें।
5. मौस, मछली, सब्जी इत्यादि की अच्छे से पकाकर खाएँ।
6. दूध को उबालकर पिएँ।
7. सब्जी, भाजी, दूध, मौस, मछली का भंडारण सही तापमान पर करें।
8. होटल / रेस्तराँ में भोजन करते समय ध्यान दें कि भोजन में जीवाणु न हों, यदि भोजन ठीक तरह से पका न हो तो न खाएँ।

विशिष्ट पूरक आहार

इस रोग में फलैक्स सीड भोजन प्रयोजन विशिष्ट माना जाता है। इसमें संपूर्ण रूप से ओमेगा-3 फैटी-एसिड और आहारिक लिगनॉन विद्यमान होते हैं। इसके बीज को साबुत नहीं खाना चाहिए। बीज के आवरण को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए इसे पानी में भिगोकर खाना चाहिए या फिर पीस कर। ऐसा करने से ही ओमेगा-3 मुक्त होता है और उसका अवशोषण ठीक होता है। एक बात और, बीज के आवरण को तोड़ने के तुरंत बाद उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए।

सोयाबीन में उच्चस्तरीय आईसोफ्लेवन विद्यमान होता है। कहा जाता है कि यह कैंसरोधक होता है।

मानव शरीर का संचालक मस्तिष्क एवं सेरेब्रल पाल्सी

सूर्यभान सिंह

ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। ब्रह्मांड की समस्त रचनाएँ अद्भुत हैं। मानव विज्ञान अभी भी इसके केवल एक अंश को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। मानव स्वयं अद्भुत प्राणी है जिसे प्रकृति ने ऐसे कार्य करने की क्षमता दे रखी है जो किसी और प्राणी में नहीं है।

यों तो हम सभी कभी न कभी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने हमें देखने सुनने, बोलने और स्पर्श की अनुभूति करने आदि जैसी कई क्षमताओं से परिपूर्ण किया है। इनमें से हर एक क्षमता अपने-आप में अद्भुत है। मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक के जितने आविष्कार व खोज किए हैं, जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वे सब इन क्षमताओं की वजह से ही संभव हुए हैं।

मानव शरीर की जितनी भी क्षमताएँ हैं वे सभी हमारे मस्तिष्क से प्रचालित एवं नियंत्रित होती हैं। मानव मस्तिष्क एक क्षण में ही जितनी तेजी से किसी क्रिया का संपादन करता है वह जन-साधारण की समझ से परे रहता है। साधारणतया हम किसी भी विषय या वस्तु के महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उनसे वंचित

53

न हो जाएं। उदाहरण के तौर पर जबतक हमें अचानक दिखना न बंद हो जाए या आँखों के आगे घुप्प अंधेरा न छा जाए तब तक इस बात का अनुमान नहीं हो पाता कि आँखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी हैं। इनके न रहने से हमारा मस्तिष्क भी घोर अंधकारमय हो जाता है। एक मूक इंसान ही जान पाता है कि वाणी की अक्षमता उसके लिए कितनी कष्टदायक है।

यह मानव मस्तिष्क की आकलन-क्षमता ही है कि वह किसी खास क्रिया को हमारे किसी विशिष्ट शारीरिक अंग द्वारा निष्पादित करती है। इसमें बैठना, उठना, सोना, काम करना, हंसना, रोना इत्यादि क्रियाकलाप शामिल हैं। यदि हमें सामने भेज पर रखा एक कप पकड़ना है तो मस्तिष्क ही हमारी बाहों को, हथेली, और फिर उंगलियों को एक विशिष्ट कार्य करने को प्रेरित करती है। इस प्रेरणा से हमारी बाँह आगे बढ़ती है, हथेली उंगलियों को खोलती है और उन्हें कप तक पहुँचाती है। तीन उंगलियां कप के हैंडल को एक विशिष्ट ढंग से, साथ ही पूर्व अनुमानित वजन को ध्यान में रखकर उस कप को उठाती है और होठों तक लाती है। यूँ तो इस प्रकार के और अनेक अन्य प्रकार के क्रियाकलाप को हम रोजाना हजारों बार करते रहते हैं। मस्तिष्क की इस क्षमता को हम मोटर कंट्रोल क्षमता कहते हैं। यह मोटर कंट्रोल क्षमता हमारे हाथ को कहाँ तक जाना है, अपनी कलाई को किस दिशा व कितने कोण में मोड़ना है, किस प्रकार से उंगलियों को व्यवस्थित करना है, 'सब सुनिश्चित करता है यह भी सुनिश्चित करता है कि वस्तु के आकार या पूर्वानुमान अथवा पूर्वअनुभव आदि से प्रेरित कितने वजन को उठाने के लिए कितनी ताकत का संचार उंगलियों, हथेली और बाहों में करना है। काम न हो पाने पर व्यवस्था बदलना और ताकत का संचार करना आदि मस्तिष्क प्रचालन क्षमता पर निर्भर करता है।

आपने यह देखा कि मात्र कप उठाने में ही शरीर के विभिन्न अंगों के कितने क्रियाकलाप हो गए जिनका अंदाजा आम आदमी नहीं

लगा पाता। हाँ, मानव विज्ञानी या रोबोट इंजीनियर इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि उनको उसी रोबोट से वह काम लेना है जो वे चाहते हैं। आखिरकार यह पूरा खेल मस्तिष्क का है जो हम पूरे दिन और जीवनभर करते रहते हैं पर उसका विश्लेषण व आकलन नहीं कर पाते।

आम मानव कभी भी अपनी किसी भी क्रिया का समुचित विश्लेषण नहीं कर पाता है। व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान (Occupational Therapy) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का वह क्षेत्र है जहाँ मानव बुद्धि व शरीर की हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी क्रियाकलाप का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी कारण से यदि किसी इंसान अथवा जानवर में कोई अक्षमता हो या किसी दुर्घटनावश अक्षमता आ गई हो उसे कैसे दूर किया जा सके इसका उपाय निर्धारित करने पर ध्यान दिया जाता है। इस चिकित्सा विज्ञान में दवाओं से ज्यादा क्रियाओं को महत्व दिया जाता है जिससे किसी विशिष्ट अक्षमता को सक्षमता की ओर ले जाया जा सके।

व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का वह क्षेत्र है जहाँ प्रभावित व्यक्ति (जिनमें बच्चे भी शामिल हैं) को उनके नित्य नियमित क्रियाकलाप को अंजाम देने के ऐसे तरीके प्रदान करना होता है कि वह अपने बल-बूते पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिना किसी के सहारे के अपने काम संपन्न कर सके और अपनी शारीरिक कमियों व अक्षमताओं को दूर कर सके।

यों तो मानव मस्तिष्क में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं पर यहाँ हम एक विशिष्ट विकार की चर्चा करना चाहते हैं जिसके कारण समाज में इससे प्रभावित व्यक्ति प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। इस बीमारी को हम कुछ सीमा तक दूर कर सकते हैं। इस रोग का नाम है सेरेब्रल पाल्सी (cerebral palsy) अथवा प्रमस्तिष्क अंगधात कहा जाता है।

सेरेब्रल पाल्सी (cerebral palsy) अथवा प्रमस्तिष्क अंगधात एक रोग-समूह है जो गैर प्रगतिशील व असंक्रामक होता है और मानव

55

शरीर के विभिन्न अंगों-उपांगों के विकास या उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। सामान्य जन कभी-कभी लकवा जैसी अन्य समस्याओं को भी सेरेब्रल पाल्सी से जोड़ देते हैं पर यह एक अत्यंत ही अलग तरह की समस्या है जो कि मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है फिर उससे जुड़ी शरीर के किसी भी भाग की क्रियाशीलता अर्थात् हाथ, पैर, मुँह, आँख, इत्यादि को प्रभावित करती है। जबकि लकवा (पक्षाधात) में शरीर का एक विशिष्ट अंग या पक्ष प्रभावित होता है। पक्षाधात किसी भी इंसान को किसी विशिष्ट परिस्थिति में अचानक होता है। पर सेरेब्रल पाल्सी साधारणतया गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के दौरान या जन्म के बाद तीन साल की उम्र तक पाया जाता है। इसी कारण बच्चे समय से बैठने, उठने, खड़ा होने या चलने में विलंब करते हैं। कई ऐसे भी मामले हैं जहाँ गर्भावस्था या बचपन में हुए सेरेब्रल पाल्सी का असर 20-30 वर्ष की उम्र में जाकर दिखता है।

गर्भावस्था के दौरान माँ में रक्ताल्पता (हेमोग्लोबिन की कमी), गंभीर पीलिया होना, गिरने पर कमर में चोट लगना या किसी गंभीर रोग से रुग्ण होने के कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। बच्चों के जन्म के बाद तीन साल की उम्र के बीच पीलिया या अन्य रोग होने से या गिरने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है।

सेरेब्रल पाल्सी, दरअसल मस्तिष्क के मोटर संचालन केन्द्र को तब प्रभावित करती है जब उसका विकास हो रहा होता है। गर्भावस्था या बाद में मुद्रा-कारण या क्रियाहीनता या संकुचित गतिविधि के परिणाम स्वरूप भी यह हो सकती है। इसकी वजह से बच्चे में अनुभूति की गड़बड़ी (disturbance of sensation), गहराई आकलन (Depth perception), दृष्टि संबंधी अवधारणात्मक समस्या, कहने, देखने या सुनने की क्षमता प्रभावित होती है।

सेरेब्रल पाल्सी को मुख्यतया चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1. आकर्षी अथवा मानसिक (spastic)
2. गतिविभ्रम (taxis).
3. ऐथेटोइड डिस्काइनेटिक (athetoid diskinetic) तथा
4. मिश्रित (mixed)।

1. आकर्षी / मानसिक (spastic) सेरेब्रल पाल्सी : सबसे ज्यादा मामले आकर्षी सेरेब्रल पाल्सी के ही मिलते हैं यानी सेरेब्रल पाल्सी के कुल मामलों का लगभग 80 प्रतिशत। इस प्रकार के सेरेब्रल पाल्सी (सी.पी.) का कारण गर्भावस्था/प्रसव के दौरान/जन्म के समय कम वजन आदि हो सकता है। पर इसके लक्षण बचपन से लेकर प्रभावित व्यक्ति के 20 से 30 साल के उम्र तक पहुँचने पर उजागर हो सकते हैं। मांसपेशी में ऐंठन, जकड़न, तनाव, दर्द, कम उम्र में आर्थराइटिस हो जाना, शरीर के किसी एक अथवा कुछ अंगों का विशिष्ट कार्य पूर्णतया न कर पाना आदि इसके लक्षण हैं। इस रोग में रीढ़ से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिका अप्रभावकारी बन जाती है, जिसके कारण शरीर के कुछ अंगों में गतिशीलता समाप्त हो जाती है अथवा सामान्य से कम पाई जाती है। सौभाग्यवश मानसिक सेरेब्रल पाल्सी के इस प्रकार को आधुनिक व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान के साथ कुछ दवाओं के सेवन से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें शारीरिक उपचार क्रिया क्रियात्मक कार्य को मजबूत बनाने और लक्षित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम के विशिष्ट प्रबंधन से उपचार किया जा सकता है।

इसके अलावा कुछ दवाएँ जैसे Botox, Bachlofen या न्यूरोसर्जरी के द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है जिसमें उस तंत्रिका को हटाया या ठीक किया जाता है जिसके कारण सी.पी. हुआ हो।

2. गतिविभ्रम सेरेब्रल पाल्सी : सी.पी. की दूसरी प्रकार को गतिविभ्रम सेरेब्रल पाल्सी (Ataxic C.P.) कहते हैं जो कि कुल सी.पी. के मरीजों में से 15-20 प्रतिशत लोगों में पाया जाता है। इसके मरीजों

57

HRD || 2 - 5A

में पक्षाधात और/या कंपन पाया जाता है जिससे अनैच्छिक गतिविधियाँ होने लगती हैं।

ऐसे मरीजों में मस्तिष्क की मोटर क्षमता प्रभावित होती है जिसके कारण व्यक्ति विशेष का कुछ अति सामान्य, पर महीन कार्य, जैसे लिखने के दौरान हाथ में कंपकंपी, टाइपिंग के दौरान गड़बड़ी/कंपकंपी, या कैंची जैसी वस्तुओं के उपयोग आदि में कठिनाई होती है। व्यक्ति आम तौर पर सामान्य रह सकता है पर यदि आप उसे एक कलम पकड़ाएँ तो वह काँपते उंगलियों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है यानि कि जहाँ हाथ ले जाना चाह रहा है वहाँ वह पकड़ने की व्यवस्था को जमा नहीं पा रहा है। इसके लिए उसे बहुत मेहनत व एकाग्रता पाने की कोशिश करना होता है। हकलाना भी कुछ इसी सी.पी. का उदाहरण है।

3. ऐथेटोआएड सेरेब्रल पाल्सी : सी.पी. का तीसरा प्रकार है ऐथेटोआएड या डिस्काइनेटिक (Athetoid/Diskinetic) है। इस प्रकार के मरीज अपने आपको खड़ा रख पाने में मुश्किल या खुद को अक्षम पाते हैं। या, सीधे एक ही मुद्रा में कुछ देर तक नहीं रुक पाते। उन्हें चलने-फिरने में भी मुश्किल पेश आती है। अचानक उनसे कोई अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। जैसे हाथ झटक देना, पैर झटक देना, बोलते-बोलते कोई एक शब्द या अक्षर जोर से बोल देना आदि इसके अन्य लक्षण हैं। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों में यह पाया गया है कि वे कोई इच्छित कार्य नहीं कर पाते, हाथ या उंगलियों को नियंत्रित नहीं रख पाते (जैसे नाक के सिरे को न खुजला पाना या कप के हैंडल तक उंगलियों को न ले जा पाना आदि। अपनी इस तरह की परिस्थिति से वे दुथब्रश पकड़ने, पेंसिल पकड़ने जैसे महीन कार्य आदि में भी काफी मुश्किल महसूस करते हैं।

4. मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी : सेरेब्रल पाल्सी का चौथा वर्ग मिश्रित वर्ग (Mixed Category) है जिसमें ऊपर वर्णित एक से अधिक या सभी तीन वर्गों के लक्षण उपस्थित होते हैं।

जिन नवजात शिशुओं को सेरेब्रल पाल्सी होता है उनका आसन (posture) असामान्य रहता है। शिशु या तो शिथिल (थुलथुल) रहता या अनम्य stiff यानि बहुत कठोर रह सकता है। उसमें रीढ़ की वक्रता हो सकती है, एक छोटे जबड़े की हड्डी (या सख्त मांसपेशियों के कारण मुँह खोलने में दिक्कत) चेहरे पर ऐंठन या टेढ़ापन, छोटे सिर के रूप में जन्म दोष आदि दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं। कुछ शिशुओं में ये लक्षण नहीं दिखते हैं। सब सामान्य प्रतीत हो सकता है पर आगे चलकर जब बच्चा अन्य क्रियाकलाप सीखने या करने का प्रयास करता है तब इसके लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। जब बच्चा 6 से 10 महीने का होता है तब उसमें अत्यधिक लार टपकने, खाना खाने में समस्या, संवेदी विकलांगता, मानसिक मंदता, असंयमित मल-मूत्र या अन्य विकारों जैसे मिर्गी, व्यवहारगत चेष्टा, अक्षमता या अन्य संचार विकार भी प्रदर्शित होने लगते हैं। इसमें वाणी व भाषा विकार, मस्तिष्क पक्षाधात भी आम हैं।

बोलने में समस्या, खराब श्वसन नियंत्रण, चेहरे की मांसपेशियों में आंदोलित बलत प्रभाव, मौखिक अभिव्यक्ति विकार आदि कई लक्षणों से यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कहीं सेरेब्रल पाल्सी का शिकार तो नहीं है।

यदि शिशु अवस्था या बाल्यावस्था में कभी भी ऐसा कोई एक लक्षण या सामूहिक लक्षण मिले तो ऐसी अवस्था में किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाकर विस्तार से जन्म के पूर्व यानि गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद शिशु अवस्था और बाल्यावस्था के सभी क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन विश्लेषण करें। यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के पास ऐसा कोई उपचार नहीं है जो तुरंत इसका हल दे सके या इस रोग से पूर्णतया निजात दिला सके पर एक अनुभंगी चिकित्सक के संरक्षण, परिपूर्ण संयम, संतुलन, देख-रेख से हम कई शिशुओं को सामान्य जीवन दे सकते हैं। यहाँ तक कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह बच्चा/व्यक्ति सेरेब्रल पाल्सी जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित था।

59

सेरेब्रल पाल्सी से बचने के विशेष उपाय

यदि निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें तो संभावित तौर पर इस प्रकार के विकारों से हम अपने होने वाली संतानों को जीवन की गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं :—

- नवविवाहित व गर्भवती स्त्रियाँ डॉक्टर से समुचित परामर्श लें और उन पर समय से क्रियान्वयन करें।
- डॉक्टर के बताए अनुसार पूर्ण, स्वस्थ व प्राकृतिक आहार लें।
- कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन, कृत्रिम खाद्य पदार्थ जैसे कृत्रिम रंग, कृत्रिम संरक्षक पदार्थ आदि से बचें। संवर्धित या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों/भोजन के सेवन से दूर रहें।
- डॉक्टर के बताए अनुसार गर्भावस्था के दौरान सभी दवाएँ व टीके समयानुसार सेवन करें।
- शिशु जन्म में समय का अंतर रखें।
- गर्भावस्था के दौरान (या उससे कम से कम एक साल पहले से) तथा शिशुपालन के समय तक अतिविषाक्तता से बचें (जैसे सीसा अथवा कैडमियम विषाक्तता जैसे वातावरण से जहाँ तक संभव हो सके दूर रहें/रखें)
- जन्म के बाद जहर, गंभीर पीलिया, सीसा विषाक्तता, मस्तिष्क की भौतिक चोट, हिल बेबी सिंड्रोम, आदि वातावरण से बचें।
- खिलौने व भोजन विषाक्तता से बचें।
- यदि सेरेब्रल पाल्सी का कोई भी लक्षण दिखलाई पड़े या आभास हो तो बिना देरी किए किसी भी विशेषज्ञ व अनुभवी चिकित्सक से सलाह प्राप्त करें जिससे आगे के जीवन में होने वाली मुश्किलों से बचा जा सके।

- गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव से दूर रहें।
- खुद को तनावमुक्त करने के लिए उचित मनोयोग, ध्यान का पालन करें। खुद को प्रसन्नचित्त रखें। हंसी-खुशी के माहौल में रहें।
- गर्भावस्था के दौरान सुस्ती से बचें। खुद को सामान्य क्रियाकलाप में व्यस्त रखें। उतना ही आराम करें जितना आपके शरीर को नितांत आवश्यकता है।
- गर्भावस्था के दौरान योग विशेषज्ञ/डॉक्टर के परामर्श अनुसार कुछ शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कार्यों का निष्पादन करें जिससे शरीर चुस्त-दुरुस्त रहे व सामान्य प्रसव के लिए शरीर प्रेरित रहे।
- जहाँ तक हो सके सामान्य प्रसव के लिए खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करें।
- गर्भावस्था के दौरान एक करवट न सोएं, न बैठें। यह कई महिलाओं की आदत होती है। करवटें समय-समय पर बदलते रहें। अपना आसन (Posture) भी बदलती रहें।

61

ज्ञान-चर्चा

सतीशचंद्र सक्सेना

I. चावल : एक उपयोगी और पौष्टिक खाद्यान्न

वैसे तो गेहूँ को अन्न का राजा कहा जाता है परंतु चावल का महत्व भी कम नहीं है। वस्तुस्थिति तो यह है कि चावल ही ऐसा अन्न है जो अधिसंख्य लोगों का मुख्य आहार है। धरती पर चावल की खेती अनादि काल से हो रही है और पर्याप्त लोकप्रिय भी है। पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से पता चलता है कि चावल 5000 वर्षों से भी अधिक समय से मुख्य आहार रहा है। चावल की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक की जाती है। आजकल धान की कुछ नई किस्में विकसित की गई हैं जिनसे अच्छी पैदावार प्राप्त होती है और किसानों को भी अच्छी आय हो जाती है। आजकल पाँच सितारा होटलों तक के विश्व के सभी रसोइए चावल पकाना पसंद करते हैं और उससे विभिन्न विरयानी तथा अन्य नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कुछेक रसोइए तो चावल से निर्मित व्यंजनों को बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं।

चावल की किस्में : चावल की विभिन्न किस्में हैं। स्वाद कलिकाओं की तुष्टि, स्वास्थ्य और विभिन्न व्यंजनों के लिए सही किस्म का चुनाव आवश्यक है। चावल की कुछ किस्में इस प्रकार हैं:-

बासमती : इसे चावलों का राजा कहा जाता है। बासमती चावल की भी भिन्न-भिन्न किस्में बाजार में उपलब्ध हैं जिनका मूल्य भी अलग-अलग होता है। हिंदी में 'वास' शब्द का अर्थ सुगंध अर्थात् खुशबू तथा 'मती' का अर्थ परिपूर्ण होता है। अतः वासमती शब्द का अर्थ खुशबू या सुवास से पूर्ण होता है। किंवदंती है कि प्रारंभ में इस चावल की आपूर्ति केवल राजघरानों में होती थी। इस चावल की एक ही फसल उत्तर भारत और पाकिस्तान में उगाई जाती है। उत्तम गुणता का बासमती चावल प्रचुरता से अरब तथा खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है, जहाँ इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की आमिष बिरयानी बनाने में किया जाता है जिसे वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं।

भूरा चावल : इसकी प्राकृतिक सुवास भुने हुए गिरीयुक्त मेवों (नट्स) जैसी होती है। यह पर्याप्त पौष्टिक होता है।

सैला चावल : धान को मिल में डालने से पहले धान का भाप से उपचार किया जाता है। जो उपचार या रसोइए बिल्कुल अलग-अलग अर्थात् खिला हुआ चावल पसंद करते हैं वे इस चावल का प्रयोग करते हैं।

इसके अतिरिक्त चावल की अन्य कई स्थानीय किस्में भी ज्ञात हैं।

भारत में चावल प्रधान प्रदेशों के अतिरिक्त सामान्य घरों में गेहूँ की रोटी के साथ-साथ चावल भी पकाया जाता है। चावल का प्रयोग सामिष या निरामिष बिरयानी अर्थात् पुलाव, दाल के साथ खिचड़ी या सब्जी आदि डालकर ताहिरी बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, चावल के चूर्ण के साथ अन्य खाद्यान्न मिलाकर पापड़ और कुरकुरे जैसे स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन तथा अनरसे जैसे मिष्ठान बनाने में किया जाता है।

दक्षिण भारत में दही भात, दाल भात, इमली भात, डोसा, इडली तथा उत्तप्तम आदि संपूर्ण आहार होता है। साँभर बनाने में दाल के साथ सब्जियों का प्रयोग होता है जिससे भोजन में प्रोटीन, विटामिनों तथा खनिजों की पूर्ति होती है।

63

पूजा, आनुष्ठानिक व शुभकार्यों में चावल

चावल का पूजा-पाठ व सभी आनुष्ठानिक एवं शुभ कार्यों में अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुजों और अपने प्रियजनों को शुभ अवसरों पर अथवा यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले चावल और रोली का टीका किया जाता है। 'अक्षत' शब्द का अर्थ अखंडित होता है, पूजा आदि में अक्षत से तात्पर्य चावल के साबुत दाने से होता है। संस्कृत में चावल को 'तंडुल' कहते हैं। वैसे तंडुल का शास्त्रिक अर्थ, खाद्यान्न के दाने से होता है पर सामान्यतः चावल के दाने को ही तंडुल कहते हैं। हमारे देश में विशिष्ट मेहमानों के आगमन पर उनके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। नववधू के अपने पति के घर प्रथम आगमन पर उससे चावल से भरे कटोरी को पैर से लुढ़काने को कहा जाता है। ऐसा करना शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है और विश्वास किया जाता है कि वधू अपने पति के घर में वैभव और सुख समृद्धि ला रही है।

चावल का पौष्टिक महत्व

चावल का पौष्टिक मान निर्मित सभी व्यंजनों में लगभग बना रहता है। चावल में उत्तम गुणता का कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दाल चावल (दाल-भात) अपने-आप में संपूर्ण तुष्टिप्रद आहार है। प्रोटीन और खनिज की पूर्ति दाल से हो जाती है फिर कुछ खाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त चावल में हमारे शरीर के लिए उपयोगी कुछ ऐमीनो अम्ल भी होते हैं।

चावल का आयुर्विज्ञानी पक्ष

चावल की उत्तमता के बारे में कुछ वाद-विवाद रहा है। परंतु, सभी शंकाओं को निरस्त करते हुए अन्न के रूप में चावल एक उत्तम आहार माना गया है। यह एक ऐसा खाद्यान्न है जिसका शर्करा सूचकांक (ग्लाइसेमीइन्डेक्स) पहले बहुत अधिक बतलाया जाता था

परंतु नए शोधों के अनुसार कुछ कम बतलाया जाता है। खाद्यान्न का शर्करा सूचकांक दर्शाता है कि इस खाद्यान्न को रुधिर में अवशोषित होने में कितना समय लगता है। सभी कार्बोहाइड्रेट शरीर में शर्करा या ग्लूकोज में भंजित हो जाते हैं। कम शर्करा सूचकांक से तात्पर्य यह है कि उस खाद्यान्न के भंजित होकर रुधिर में शर्करा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता है अर्थात् पाचन में अधिक समय लगता है और शरीर में ऊर्जा का मोचन भी धीरे-धीरे होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पेट भरे होने का अहसास अधिक समय तक रहता है और जल्दी-जल्दी खाने की इच्छा नहीं रहती और कैलोरी की मात्रा भी सीमित रहती है। इसके विपरीत जिन खाद्यान्नों का शर्करा सूचकांक अधिक होता है वे शर्करा में शीघ्र भंजित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप रुधिर में शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है और खाना जल्दी हजम हो जाता है तथा भूख भी जल्दी लगने लगती है। इस कारण खाना ज्यादा हो जाता है और कैलोरी का अंतर्ग्रहण बढ़ जाता है।

मधुमेह के रोगियों के लिए यह वांछनीय है कि रुधिर में शर्करा का स्तर धीरे-धीरे बढ़े। गिरियुक्त मेवों अर्थात् काजू, अखरोट, पिस्ता तथा बादाम आदि में अल्प शर्करा सूचकांक पाया जाता है इसलिए ये लाभदायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेटों का इस प्रकार भंजन और रुधिर प्रवाह में उनका अवशोषण कई अन्य कारकों जैसे भोजन पकाने की विधि, अधिक वसा (फैट्स) का प्रयोग, खाने का चर्बण (चबाने की क्रिया), साथ में प्रयुक्त अन्य कार्बोहाइड्रेट, निर्मित व्यंजन तथा व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है।

इन तथ्यों के आधार पर वर्षों में व्याप्त इस भ्रांति पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है कि मधुमेह के रोगियों के लिए चावल निषिद्ध है। वस्तुस्थिति यह है कि सीमित मात्रा में चावल का सेवन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। अब सहज ही दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम यह कि जिनका चावल मुख्य आहार है, क्या उन्हें

65

अपने शरीर का भार नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अन्य खाद्यान्नों का सेवन करने वाले व्यक्तियों में मोटापे की प्रवृत्ति होती है? इन प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है।

आयुर्विज्ञान में हो रहे शोधकार्यों के फलस्वरूप कोई भी मान्य धारणा स्थायी नहीं होती। कभी-कभी तो एक ही विषय पर अलग-अलग देशों में हो रहे शोधकार्यों से बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी एक निष्कर्ष पर आम सहमति नहीं होती। अंततः संदेश यही है कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए और सीमित मात्रा में सभी प्रकार के खाद्यान्नों का रसास्वादन किया जाए।

II. अकेला और अकेलापन

'अकेला' तथा 'अकेलापन' परस्पर संबंध शब्द हैं इनमें अकेला विशेषण तथा अकेलापन संज्ञा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अकेलापन का कुछ अलग अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है।

पुरानी सार्थक कहावत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता जब तक कि परिस्थितियाँ उसे अकेले रहने पर विवश न कर दें। पिछले 30 वर्षों में अकेले रहने की प्रवृत्ति में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। आजकल अधिकाधिक पुरुष व महिलाएँ किसी-न-किसी कारण अथवा विवशतावश एकाकी जीवनशैली अपना रही हैं और अब इसे सामाजिक वर्जना (निषेध) नहीं समझा जाता। भारत में भी चीन और ब्राजील की भांति एकल व्यक्ति परिवार में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

न्यूयार्क विश्वविद्यालय के समाज-विज्ञान के प्रोफेसर एरिक किलनबर्ग का कहना है, "साहसिक अकेले परिवारों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और आज अकेले रहना एक उपलब्धि का प्रतीक माना जाने लगा है क्योंकि इसके लिए यथोष्ट आर्थिक संपन्नता, सामाजिक

सुरक्षा, महिलाओं को आजादी और सांस्कृतिक सहयता की आवश्यकता होती है। यह सही है कि निर्धन राष्ट्रों में अकेला रहना कठिन हो सकता है परंतु विकसित देशों और स्वच्छंद समाज में यह प्रवृत्ति एक प्रकार से सर्वव्यापी हो रही है।"

अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना, अकेले होना और अलग कर दिया जाना, चार विभिन्न अवस्थाएँ हैं, परंतु अक्सर इनमें अंतर नहीं किया जाता। जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी में Singleton शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोग सामान्यतः अकेले तथा अलग-थलग नहीं होते और वे अपने मित्रों के साथ तथा नागरिक संगठनों और सामाजिक कार्यों में अधिक समय दे पाते हैं।

अकेले रहने में बहुत-से मनपंसद आधुनिक मूल्य समाहित हैं जिनमें स्वच्छंदता, अपने समय और धूमने फिरने पर केवल स्वयं का नियंत्रण, एकांत खोज तथा अपनी मर्जी के अनुसार मित्रों से मेल-मिलाप आदि शामिल हैं। ये सुविधाएँ लाखों लोगों को एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए आकर्षित करती हैं। सामाजिक अलगाव और अकेलापन चिंता का विषय हो सकता है परंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी मामलों में ऐसा हो।

कुछ लोगों का मानना है कि जो पुरुष व महिलाएँ काफी समय तक अकेले रह रहे होते हैं, उन्हें विवाह के उपरांत अपने जीवन साथी के साथ जीवन-यापन में कठिनाई आती है और समायोजन आसान नहीं होता। इस प्रकार कुसमायोजन के कुछ छुटपुट मामले तो हो सकते हैं परंतु बड़े पैमाने पर इस प्रकार के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सदैव के लिए अकेले रहना चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य भी यह अनुमति नहीं देता। परंतु कुछ लोग अपना जीवन साथी बिछुड़ने के बाद अपने शेष जीवन में अथवा जीवन के किसी अंश में नियति समझकर अकेले रहने का निर्णय लेते हैं।

67

ऐसे लोगों में से अधिकांश अपने जीवन की एक अच्छी अवधि सुखपूर्वक अपने जीवन साथी के साथ गुजार चुके होते हैं। कभी-कभी ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि किसी गलत साथी के साथ दुबारा जीवन गुजारने की संभावना समाप्त हो जाए। जीवन-चक्र बहुत विचित्र होता है जिंदगी कब क्या मोड़ ले यह पता नहीं होता। कालांतर में अधिकांश ऐसे पुरुष व महिलाएँ उपयुक्त जीवन साथी की खाहिश तो रखते हैं परंतु गंभीरतापूर्वक खोजने का प्रयास नहीं करते। जब उनके परिवार के सदस्य अथवा मित्रगण उनकी इच्छा और आवश्यकताओं को समझे बिना उन पर विवाह का दबाव बनाते हैं तो यह उन्हें नापसंद होता है।

लगभग सभी व्यक्ति विवाह के लिए अपनी पत्नी/पति का चयन कई मुलाकातों (डेटिंग) के बाद बहुत सोच समझकर करते हैं। कालांतर में बहुत से युगल यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि साथी का चयन सही नहीं हुआ। कभी-कभी अहम् वृत्तिक और व्यक्तित्व का टकराव भी होता है। परिणाम यह होता है जीवन दुखद हो जाता है और बात बढ़ते-बढ़ते न्यायालय से तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। तलाक के मामलों में दोनों पक्षों की धन की बर्बादी तो होती है और अनुकूल निर्णय पाने में बहुत समय लगता है। तलाक के एक मामले का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करने में 37 वर्ष लगे। कष्टमय दाम्पत्य जीवन से तलाक के दबारा छुटकारा पाने के बाद दोनों पक्ष राहत का अनुभव करते हैं और ऐसी स्थिति में फिल्हाल अकेले जीवन गुजारना पसंद करते हैं।

पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अकेले रहने में सामान्यतः अधिक सफल रहती हैं। वे मित्रों तथा परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखती हैं और सामाजिकतः अधिक सक्रिय रहती हैं।

कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि अकेले रहने वाले अधिक स्वार्थी होते हैं, यह पुरानी धारणा है। पहले अकेले रहने वाले व्यक्ति,

विशेषकर किसी महिला को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। अब इस सोच में कमी आई है और आगामी वर्षों में इस दृष्टिकोण में और भी सुधार होगा।

अकेले रहने के जोखिम : अकेला रहने में खर्चा भी बढ़ जाता है। जो लोग अकेले रहने में लगातार अधिक उदासी और अकेलापन महसूस करते हैं तो समस्या बढ़ते-बढ़ते कभी-कभी नियंत्रण के बाहर हो सकती है और 'डिप्रेशन' का रूप ले लेती है। शारीरिक रूप से दुर्बल, अस्वस्थ और अधिक आयु वाले लोगों का अकेला रहना लगभग असंभव हो जाता है। आजकल वयोवृद्ध लोगों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों में अक्सर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक नौकर या नौकरानी की मिली-भगत होती है। अतः इन्हें जान का खतरा भी रहता है।

फिर भी, मनुष्य अधिक आशावादी है और इसे उपयुक्त साथी की तलाश रहती है चाहे पिछले कष्टप्रद रिश्ते से वह कितना भी आहत हुआ हो। साथ-ही-साथ यह भी कटु सत्य है कि लंबे समय तक सुखी दाम्पत्य जीवन भोगने के बाद भी पति या पत्नी में से किसी को अपना शेष जीवन अकेले ही गुजारना पड़ता है।

69

इस अंक के लेखक

- | | |
|--|--|
| 1. श्री राकेशरेण | - बी-339, केंद्रीय विहार
सेक्टर-51, नोएडा-201303 (उ.प्र.) |
| 2. डॉ. दिनेश मणि | - 35/3, जवाहर लाल नेहरू रोड
जार्ज टाउन, इलाहाबाद-211002 |
| 3. डॉ. विनोद कुमार सिन्हा | - ग्रा.+पो.-बेलाही नीलकंठ
वाया-अथरी, जिला-सीतामढ़ी
(बिहार), पिनकोड़-843311 |
| 4. डॉ. सरोज कुमार वर्मा | - 06, व्याख्याता आवास, खबड़ा
रोड, बिहार विश्वविद्यालय
परिसर, मुजफ्फरपुर-842001 |
| 5. प्रो. आर. पी. पाठक एवं -
डॉ. अमिता पांडेय भारद्वाज | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब सांस्थानिक
क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 |
| 6. श्री कृष्ण मुरारी सिंह | - ग्राम-बरमा, पो.-कैथामा
'किसान' वाया-सिरारी
जिला-शेखपुरा
पिनकोड़-811107 |
| 7. श्री सतीशचंद्र सक्सेना | - बी.बी.-35 एफ, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058 |
| 8. डॉ. के. ए. रामचंद्रन | - सी-II-16 सहयाद्रि, प्लॉट नं.-5
सेक्टर-12, द्वारका
नई दिल्ली-110078 |
| 9. श्री सूर्यभान सिंह | - व्यावसायिक चिकित्सक
देवी हसराजी रिहैबिलीटेशन सेंटर
हरि नगर, नई दिल्ली-110064 |

70

शब्द-भंडार

(पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली से)

dry	शुष्क
dry brush	1. ड्राई ब्रुश, 2. हल्का ब्रुश
dry finish	शुष्क परिष्करण, शुष्क मार्जन
drying paper	सोख्ता कागज, सोख्ता गत्ता
dry mat	शुष्क आधात्री
dry mounting	सूखी चिपकाई
dry offset (=letterpress offset)	ड्राई ऑफसेट, (=लेटरप्रेस ऑफसेट)
dry proofing paper	प्रथम प्रूफ कागज
dub (I.&B.)	डब करना
dubbing (I.&B.)	आरोपण, डब करना
duct	वाहिनी
duct blad (P.P.)	वाहिनी फल
duct roller (=ductor roller)	वाहिनी रुला
duet (I.&B.)	युगलगान, दुगाना
duet, instrumental (I.&B.)	युगलवादन, दोसाज, जुगलबंदी
dull (newspaper)	फीका
dull finish	मंद मार्जन
dummy	डमी खाका
dump	खत्ता, खत्ते में डालना
duograph (=duotone)	दुरंगा हाफटोन (चित्र)
duotone (=duograph)	दुरंगा हाफटोन (चित्र)

71

dupe (I.&B.)	1. अनुलिपि, 2. समाचार पुनरावृत्ति
dupe negative (I.&B.)	अनुलिपि नेगेटिव
dupe print (I.&B.)	अनुलिपि (फिल्म) प्रति
duplex paper	दुपर्ती कागज, दुरंगा कागज
duplicate plate	दुहरी प्लेट
duplication	1. प्रतिलिपिकरण, अनुलिपिकरण 2. द्विरावृत्ति, दुहराना
duty	ड्यूटी, कार्य
duty chart	कार्य चार्ट
duty officer	कार्य अधिकारी
duty room	ड्यूटी कक्ष, कार्यकक्ष
ears (make up)	शीर्ष पार्श्व
easelng	टेक लगाना
eccentric (P.P.)	उत्केंद्र
eccentric arm (P.P.)	उत्केंद्र भुजा
eccentric block (P.P.)	उत्केंद्र ब्लॉक
eccentric box (P.P.)	उत्केंद्र बक्स
eccentric bush	उत्केंद्र छल्ला, उत्केंद्र ब्रुश
eccentric shaft (P.P.)	उत्केंद्र शैफ्ट
echo (I.&B.)	प्रतिध्वनि
economic bias	आर्थिक झुकाव
E.D. (every day advertisement)	प्रतिदिन विज्ञापन
edge, back (=gutter)	दैनिक विज्ञापन
edge, fore	पीठ उपांत अग्र उपांत

72

edge, head	शीर्ष उपांत
edge, tail	चरण उपांत
edge, index	कोर-सूचक
edit	संपादन करना
editing	संपादन
edition	संस्करण
edition, best	सर्वोत्तम संस्करण
edition, deluxe	राज संस्करण
edition, school	विद्यालय संस्करण
edition, special	विशेष संस्करण
editor	संपादक
editor, associate	सहयोगी संपादक
editor, automobile	मोटर-यान संपादक
editor, aviation	विमानन संपादक
editor, business	कारोबार संपादक
editor, cable	केबल संपादक, तार संपादक
editor, city	शहर संपादक
editor, cooking	पाकवार्ता संपादक
editor, drama	नाटक संपादक
editor, farm	कृषि संपादक
editor, garden	उद्यान संपादक
editor, joint	संयुक्त संपादक
editor, labour	श्रम संपादक
editor, literary	साहित्य संपादक
editor, make up	विन्यास संपादक
editor, managing	प्रबंध संपादक

73

025 MRD 114 - 6

editor, movie	सिनेमा संपादक
editor, music	चलचित्र संपादक
editor, news	संगीत संपादक
editor, night	समाचार संपादक
editor, owner	रात्रि संपादक
editor, philately	रात्रि संपादक
editor, picture	डाक टिकट संपादक
editor, radio	चित्र संपादक
editor, real estate	रेडियो संपादक
editor, religious	भूमि-भवन संपादक
editor, rotogravure	धर्म संपादक
editor, society	रोटोग्रेव्यर संपादक
editor, stamps	समाजवार्ता संपादक
editor, sub	डाक टिकट संपादक
editor, Sunday	उप संपादक
editor, telegraph	रविवारीय संपादक
editor, travel	तार संपादक
editor, women's	यात्रा संपादक
editorial	महिला वार्ता संपादक
editorial aggressiveness	संपादकीय, संपादकीय लेख
editorial balance	अग्रलेख
editorial campaing	संपादकीय आक्रामकता
editorial cartooning	संपादकीय संतुलन
editorial column	संपादकीय अभियान
	संपादकीय कार्टून,
	संपादकीय व्यंग्य-चित्र
	संपादकीय स्तंभ

74

editorial criticism	संपादकीय समालोचना
editorial department	संपादकीय विभाग
editorial division	संपादकीय प्रभाग
editorial exposition	संपादकीय प्रतिपादन
editorial influence	संपादकीय प्रभाव
editorialise	मत-प्रकटन, समाचार-लेखन
editorial job	संपादकीय कार्य
editorial material	संपादकीय सामग्री
editorial note	संपादकीय टिप्पणी
editorial page	संपादकीय पृष्ठ
editorial planning	संपादकीय योजना
editorial policy	संपादकीय नीति
editorial publicist	संपादकीय प्रचार कर्ता
editorial publicity	संपादकीय प्रचार
editorial publicity campaign	संपादकीय प्रचार अभियान
editorial room	संपादकीय कक्ष
editorial section	संपादकीय अनुभाग
editorial work	संपादकीय कार्य
editorial writer	संपादकीय लेखक
editor-in-chief	प्रधान संपादक
editor manager	संपादक व्यवस्थापक
educational film	शिक्षा चित्र
effects (I.&B.)	ध्वनि-प्रभाव
effects, to give (I.&B.)	ध्वनि-प्रभाव देना
effectsman (I.&B.)	ध्वनि-प्रभावकार
effects track (I.&B.)	प्रभाव-पथ
eggshell	ऐग्जेल कागज

75

egg shell finish (=matt finish)	मैट मार्जन, दयुतिहीन मार्जन,
elaboration	खुरदरा परिष्करण
electric signs poster (=neon signs poster)	विशदीकरण
electro (=electrotype)	प्रकाश पटल इश्तहार
electrofax	निअॉन चिह्न इश्तहार
electronic media	इलैक्ट्रोटाइप
elite	इलैक्ट्रॉफैक्स
elliptical dot haftone	इलैक्ट्रोनिक संचार साधन
elrod	एलीट टाइप
em	लंब-बुंदकी अर्धछाया
embargo (I.&B.)	एलराड मशीन
embossed paper	(पत्ती ढलाई मशीन)
embossing	एम
embryo advertisement	रोक
emery paper	उभारित कागज
emulsion	उभार-मुद्रण
en	कच्चा विज्ञापन
enamel paper	एमरी कागज
end mark	इमल्शन, पायस
end of the week	एन
end paper	चमकीला कागज
end sheet	अंतचिह्न
engagement	सप्ताहांत
engine sizing (P.P.)	अंत्य कागज, छोर कागज

English finish (EF, P.P.)	इंग्लिश फिनिश (चमकहीन चिकना मार्जन)
engraver	तक्षणकार, ब्लॉक निर्माता
engraver's proof	ब्लॉकनिर्माता का प्रूफ
engraving department	तक्षण विभाग
engraving plant	ब्लॉक संयंत्र, तक्षण संयंत्र
engraving process	तक्षण प्रक्रिया
engravings	तक्षित ब्लॉक
engraving tool	तक्षण औजार
engrossing	(प्रमाणपत्रादि में) हस्तलेख
enlarging	परिवर्धन
entertaining feature	रोचक रूपलेख
entertainment from mass media	जनसंचार माध्यम से मनोरंजन
entertainment impresario	मनोरंजन प्रस्तुतकर्ता
entertainment poster	मनोरंजन इश्तहार
epigram	सूक्ति
equalize	समकरण
equipment	उपस्कर
erasibility	मार्जनीयता (साफ होने की क्षमता)
essay column	निबंध स्तंभ
establishment branch	स्थापना शाखा
etching	निष्कारण, रासायनिक उत्कीर्णन
etching, dot	बिंदु निष्कारण
etching, fine	सूक्ष्म निष्कारण
ethical code	नैतिक संहिता

77

ethical standard	नैतिक मानक
ethics of journalism	पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांत
even working	समपृष्ठ मुद्रण
evolution	विकास
examining division	परीक्षा प्रभाग
exchange list	विनिमय सूची
exciter lamp (I.&B.)	उत्तेजक लैंप
exclamation mark	विस्मयादि-बोधक चिह्न
exclusive	1. अनन्य 2. एकमात्र, एकांतिक 3. अनन्य समाचार
executive	प्रबंधक
executive studio (I.&B.)	स्टूडियो प्रबंधक
executive editor	कार्य संपादक
exhibition publicity	प्रदर्शनी प्रचार
exhibitor	प्रदर्शक
expanded type	चौड़ा टाइप
explanatory text	व्याख्यात्मक पाठ
explorer	अन्वेषक
expose (I.&B.)	1. चित्र लेना 2. उद्भासित करना
exposure (I.&B.)	उद्भासन
exposure type reporting	भंडाफोड़ रिपोर्टिंग
express	भंडाफोड़ समाचार-लेखन
extended (=expanded) type	तुरंत
extended reprint	चौड़ा टाइप
	प्रवर्धित पुनर्मुद्रण

78

extra (I.&B.)	अतिरिक्त कलाकार, ऐक्स्ट्रा
extraordinary	असाधारण
eyeleting	आइलेट लगाना, छल्ला लगाना
eye-witness account	प्रत्यक्ष विवरण
fabrication	गढ़ना
face, type	टाइप रूप
facial tissue	प्रसाधन टिशू कागज
facing paper	सतही कागज
facsimile	प्रतिकृति
factual	तथ्यपूर्ण, तथ्यात्मक
factual news interview	तथ्यात्मक समाचार साक्षात्कार
factual reporting	तथ्यात्मक समाचार लेखन
fade in (I.&B.)	प्रकटन
fade out (I.&B.)	लोपन
fader (I.&B.)	लोपक
fading (I.&B.)	मंदन
fading area (I.&B.)	मंदन क्षेत्र
fake	नकली, झूठा, जाली
fake news	जाली समाचार
fake process	संक्षिप्त ब्लॉक विधि
familiar quotation	प्रचलित उद्धरण, सुपरिचित उद्धरण
family section column	पारिवारिक स्तंभ
fancy cover	मनोहारी आवरण
fan (s)	प्रशंसक
fan stick	पंखा छड़
farm editor	कृषि संपादक

79

fat head (=fat line)	स्थूल शीर्ष
fault (I.&B.)	दोष, चूक
fault report (I.&B.)	दोष रिपोर्ट
faulty sheet (P.P.)	सदोष कागज, खराब कागज
feather weight (=phozy)	अति हल्का (कागज)
feather weight antique	हल्का एंटीक
feature	1. रूपलेख 2. (I.&B.) रूपक
feature, biographical (I.&B.)	चरित रूपक
feature, entertaining	रोचक रूपलेख
feature, human interest	1. मनोरोचक रूपलेख 2. मर्मस्पर्शी रूपलेख
feature, humourous	हास्य रूपलेख
feature, illustrated	सचित्र रूपलेख, सोदाहरण रूपलेख
feature, interesting	रोचक रूपलेख
feature, musical (I.&B.)	संगीत रूपक
feature, news (I.&B.)	समाचार रूपक
feature, verse (I.&B.)	पद्य रूपक
feature article	रूप लेख
feature copy	रूप लेखप्रति
feature fashion	फैशन रूपलेख
feature film (I.&B.)	कथाचित्र
feature matter	रूपलेख सामग्री
feature stuff	लेखादि

लेखकों से अनुरोध

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उददेश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठप्रधान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह पत्रिका मिले-जुले प्रकार की है जिसमें तकनीकी लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियाँ तथा परिभाषा-कोश, कविताएँ और मानविकी से संबंधित कहानियाँ, सामाजिक विज्ञान, व्यंग्य चित्र, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक-समीक्षा आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

- (i) पत्रिका के लिए भेजी गई पांडुलिपियाँ/लेख मौलिक और अप्रकाशित होने चाहिए। वे केवल हिंदी में होने चाहिए।
- (ii) लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे सामयिक विषयों/मुददों पर लेख भेजें।
- (iii) लेख सरल और बोधगम्य भाषा में होने चाहिए।
- (iv) लेख में अधिक से अधिक 4,000 शब्द होने चाहिए।
- (v) लेख A-4 आकार के कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में सफाई से टंकित किया गया या हाथ से स्पष्ट/सुपाद्य लिखा गया होना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए छोड़े गए होने चाहिए।
- (vi) लेख का सार-संक्षेप भी इसके साथ अवश्य भेजा जाना चाहिए।
- (vii) लेखों में आयोग द्वारा निर्मित/परिभाषित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

81

२५ मार्च ११५-८८

- (viii) यदि आवश्यक हो तो लेख में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायों को कोष्ठकों में भी दिया जा सकता है।
- (ix) रंगीन और इवेत-श्याम फोटोग्राफ स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत किए गए रेखाचित्र सफेद कागज पर ब्लैक इंडिया इंक से तैयार किए जाने चाहिए।
- (x) किसी लेख का प्रकाशित किया जाना संपादक के विवेक पर होगा और इस संबंध में उसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा।
- (xi) लेखों को स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार करने का प्रावधान नहीं है।
- (xii) अस्वीकृत लेखों को वापस नहीं किया जाएगा। लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए टिकट लगे लिफाफे न भेजें।
- (xiii) समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ।
- (xiv) प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की दर रु. 250/- प्रति 1000 शब्द है लेकिन उसकी न्यूनतम राशि रु. 150/- और अधिकतम राशि रु. 1,000/- होगी।
- (xv) सभी भुगतान पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद किए जाते हैं।
- (xvi) लेखक अपने लेखों की दो प्रतियाँ कृपया संबंधित पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं यथा—
डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
संपादक,
'ज्ञान गरिमा सिंधु',
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली- 110066

82

३० २५ म १५/१५ ८८

अभिदान से संबंधित सूचना

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु के सभी अंक पत्रिका के ग्राहकों को डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

अभिदान दरें इस प्रकार हैं :

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
• व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कॉपी	रु. 14/-	पौंड 1.64	डालर 4.84
• वार्षिक शुल्क	रु. 50/-	पौंड 5.83	डालर 18.00
• छात्रों के लिए प्रति कॉपी	रु. 8/-	पौंड 0.93	डालर 10.80
• वार्षिक शुल्क	रु. 30/-	पौंड 3.50	डालर 2.88

छात्रों को अपनी शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए कि वह संस्था का छात्र है।

83

प्रोफार्म

(आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए आत्मवृत्त मेजने हेतु)

1. नाम :

2. पदनाम :

3. पता : कार्यालय :

निवास :

4. संपर्क नं. टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल

5. शैक्षिक अर्हता

6. विषय-विशेषज्ञता

7. भाषाओं का ज्ञान जिन्हें पढ़/लिख सकते हैं

*8. शिक्षण का अनुभव

*9. शोध कार्य का अनुभव

*10. शब्दावली-निर्माण का अनुभव

*11. शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी/क्षेत्रीय

भाषा में शिक्षण का अनुभव

* मैं आयोग से सहयोजित होना चाहता हूँ (कृपया टिक लगाएँ)

- शब्दावली-निर्माण सत्रों में विशेषज्ञ के रूप में
- आयोग के कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में
- ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु में प्रकाश्य लेख के लेखक के रूप में या पाठ-संग्रह(मोनोग्राफ)/चयनिका के लेखक के रूप में
- पांडुलिपि संलग्न है
- अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ
- 'ज्ञान गरिमा सिंधु'/विज्ञान गरिमा सिंधु पत्रिका का ग्राहक बनकर
- ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है
- अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

* जहाँ लागू हो

हस्ताक्षर

पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक फार्म
 व्यक्ति/संस्थाएँ या छात्र निम्नलिखित फार्मेट में अभिदान के लिए आवेदन कर सकते हैं :-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 इस स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के विभाग में वास्तविक छात्र/छात्रा है।
 हस्ताक्षर
 (प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष)

अभिदान फार्म

अध्यक्ष,
 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
 परिचमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066
 महोदय,
 मैं, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली में बैंक के खाते में देय डिमांड ड्रापट नं.
 दिनांक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा' सिद्धु/विज्ञान गरिमा सिद्धु के लिए वार्षिक अभिदान के रु. भेज रहा हूँ/रही हूँ।

(हस्ताक्षर)

टिप्पणी : खाते में देय ड्रापट अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए बनवाया जा सकता है।

कृपया डिमांड ड्रापट के पीछे अपना नाम और पता लिखें।

अभिदान से संबंधित पत्र-व्यवहार

अभिदान से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार निम्नलिखित के साथ किया जाए— वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, परिचमी खंड-7, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली-110066 फोन नं. (011) 26105211 एक्स. 246 फैक्स नं. (011) 26101220	पत्रिकाएँ वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या निम्नलिखित पते पर प्राप्त की जा सकती हैं— प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054
--	---

85

हमारे प्रकाशन

शब्द-संग्रह

बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह

विज्ञान खंड-1, 2	174.00
विज्ञान खंड-1, 2	150.00
विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	236.00
मानविकी और सामाजिक विज्ञान : खंड 1, 2	292.00
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	350.00
कृषि विज्ञान	278.00
आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान	239.00
आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी (हिंदी-अंग्रेजी)	48.00
मुद्रण इंजीनियरी	48.00
इंजीनियरी (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी)	340.00
पशु चिकित्सा विज्ञान	82.00
प्राणि विज्ञान	311.00

विषयवार-शब्दावलियाँ/परिभाषा कोश

भौतिकी

भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	119.00
भौतिकी शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	219.00
भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00
प्लाज्मा भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	1589.00
भौतिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	700.00
अर्धचालक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	40.00
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	652.00

गृह विज्ञान		
गृह विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	60.00	
गृह विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)		निःशुल्क
कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	57.00	
कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	102.00	
प्रसारण तकनीकी शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	310.00	
सूचना प्रौद्योगिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00	
रसायन		
रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	592.00	
इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	55.00	
उच्चतर रसायन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00	
धातुकर्म परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	278.00	
रसायन शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	84.00	
रसायन (कार्बनिक) परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	25.00	
वाणिज्य		
वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	259.00	
पूंजी बाजार एवं संबद्ध शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	79.00	
वाणिज्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	24.00	
रक्षा		
समेकित रक्षा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	284.00	
गुणता नियंत्रण		
गुणता नियंत्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	38.00	
भाषा विज्ञान		
भाषा विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	113.00	
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-1 (अंग्रेजी-हिंदी)	89.00	
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-2 (अंग्रेजी-हिंदी)	59.00	

87

जीव विज्ञान		
कोशिका जैविकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	62.00	
कोशिका जैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	121.00	
प्राणिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	216.00	
प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	417.00	
प्राणिविज्ञान मूलभूत शब्दावली		निःशुल्क
पर्यावरण विज्ञान मूलभूत शब्दावली		निःशुल्क
जैव प्रौद्योगिकी मूलभूत शब्दावली		निःशुल्क
जीवविज्ञान शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	212.00	
पर्यावरण विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	381.00	
सूक्ष्मजैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00	
लोक प्रशासन		
लोक प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	52.00	
गणित		
गणित शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	143.00	
गणित परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	203.00	
सार्विकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	18.00	
भूगोल		
भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	200.00	
भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00	
मानव भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	18.00	
मानवित्र विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00	
भूविज्ञान		
भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	88.00	
सामान्य भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	101.00	
आर्थिक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00	
भूभौतिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	67.00	
रैलविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	82.00	

खनिज विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 130.00

अनुप्रयुक्त भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 115.00

भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 63.00

संरचनात्मक भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 13.50

संरचनात्मक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 73.00

शैलविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 153.00

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 173.00

खनन एवं भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 32.00

संरचनात्मक भूविज्ञान एवं विवर्तनिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 15.00

जीवाश्म विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 129.00

कृषि

रेशम विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 50.00

कृषि कीटविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 75.00

सूत्रकृषिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 125.00

कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

मृदा विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 77.00

वानिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 447.00

इंजीनियरी

रासायनिक इंजीनियरी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 51.00

विद्युत् इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 81.00

यांत्रिक इंजीनियरी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

यांत्रिकी इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 94.00

सिविल इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 61.00

तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 10.00

वनस्पतिविज्ञान

वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 86.00

वनस्पतिविज्ञान परिभाषा कोश (संशोधित एवं परिवर्धित 75.00

संस्करण) (अंग्रेजी-हिंदी)

89

वनस्पतिविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

पादप रोग विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 75.00

पुरावनस्पति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 80.00

पादप आनुवंशिकी परिभाषा कोश 75.00

अनुप्रयुक्त विज्ञान

प्राकृतिक विपदा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 17.00

जलवायु विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 131.00

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 9.50

मनोविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 247.00

इतिहास

इतिहास परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 20.50

प्रशासन

प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 20.00

प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो) 720.00

प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 20.00

मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

शिक्षा

शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी), खंड-1 13.50

शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी), खंड-2 99.00

आयुर्विज्ञान

आयुर्विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 517.00

आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश (शल्यविज्ञान) (अंग्रेजी-हिंदी) 338.00

आयुर्विज्ञान के सामान्य शब्द एवं वाक्यांश 279.00

(अंग्रेजी-तमिल-हिंदी)

आयुर्विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

औषधि प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्दावली 273.00

आयुर्वेद परिभाषा कोश (संस्कृत-अंग्रेजी) 260.00

90

समाज शास्त्र	
समाज कार्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	16.25
समाज शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	71.40
नृविज्ञान	
सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	24.00
दर्शनशास्त्र	
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-1	151.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-2	124.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-3	136.00
दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	198.00
पुस्तकालय विज्ञान	
पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	49.00
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	375.00
पत्रकारिता	
पत्रकारिता परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	87.00
पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	12.25
पुरातत्व विज्ञान	
पुरातत्व विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	509.00
कला	
पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	28.55
राजनीति विज्ञान	
राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	343.00
प्रबंध विज्ञान	
प्रबंध विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	170.00
अर्थशास्त्र	
अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	117.00
अर्थशास्त्र शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	137.00
अर्थशास्त्र मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क

91

अर्थमिति परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
अन्य	
अंतरराष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	344.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	202.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
संसदीय कार्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	130.00

संदर्भ-ग्रन्थ

ऐतिहासिक नगर	195.00
प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक नगर	109.00
समुद्री यात्राएँ	79.00
विश्व दर्शन	53.00
अपशिष्ट प्रबंधन	17.00
कोयला (एक परिचय)	294.00
कोयला (एक परिचय) परिवर्धित संस्करण	425.00
रल विज्ञान (एक परिचय)	115.00
वाहितमल एवं आपंक : उपयोग एवं प्रबंधन	40.00
पर्यावरणीय प्रदूषण : नियंत्रण तथा प्रबंधन	23.25
भारत में भैंस उत्पादन एवं प्रबंधन	540.00
भारत में ऊसर भूमि एवं फसलोत्पादन	559.00
2 दूरिक एवं 2 मानकित समष्टियों में संपत्त एवं स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन	68.00
भारत में प्याज एवं लहसुन की खेती	82.00
पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग	60.00
ठोस पदार्थ यांत्रिकी	995.00
वैज्ञानिक शब्दावली : अनुवाद एवं मौलिक लेखन	34.00
मृदा-उर्वरता	410.00

ऊर्जा-संसाधन और संरक्षण	105.00
पशुओं के कवकीय रोग, उनका उपचार एवं नियंत्रण	93.00
पराज्यामितीय फलन	90.00
सामाजिक एवं प्रक्षेत्र वानिकी	54.00
विश्व के प्रमुख धर्म	118.00
सैन्य विज्ञान पाठ संग्रह	100.00
सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी	470.00
लेटर प्रेस मुद्रण	270.00
लोहीय तथा अलोहीय धातु	68.00
बाल मनोविकास	58.00
समकालीन भारतीय दर्शन के कुछ मानववादी	153.00
चिंतक : तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन	
मैग्नेसाइट : एक भूवैज्ञानिक अध्ययन	214.00
मृदा एवं पादप पोषण	367.00
नलकूप एवं भौमजल अभियांत्रिकी	398.00
विश्व के प्रमुख धर्मों में धर्मसम्भाव की	490.00
अवधारणा : एक तुलनात्मक अध्ययन	
पादपों में कीट प्रतिरोध और समेकित कीट प्रबंधन	367.00
स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी में विज्ञान लेखन	176.00
भेड़ बकरियों के रोग एवं उनका नियंत्रण	343.00
भविष्य की आशा : हिंद महासागर	154.00
भारतीय कृषि का विकास	155.00
विकास मनोविज्ञान भाग-1	40.00
विकास मनोविज्ञान भाग-2	30.00
कृषिजन्य दुर्घटनाएँ	25.00
इलेक्ट्रॉनिक मापन	31.00
वनस्पतिविज्ञान पाठमाला	16.00
इस्पात परिचय	146.00

93

जैव-प्रौद्योगिकी : अनुसंधान एवं विकास	134.00
विश्व के प्रमुख दार्शनिक	433.00
प्राकृतिक खेती	167.00
हिंदी विज्ञान पत्रकारिता : कल, आज और कल	167.00
मानसून पवन : भारतीय जलवायु का आधार	112.00
हिंदी में स्वतंत्रता परवर्ती विज्ञान लेखन	280.00
पृथ्वी : उद्भव और विकास	86.00
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	90.00
पृथ्वी से पुरातत्व	40.00
द्रवचालित मशीन	66.50
भारत के सात आश्चर्य	335.00
पादप सुरक्षा के विविध आयाम	360.00
पादप प्रवर्धन एवं पौधशाला प्रबंधन	403.00

पत्रिकाएँ (त्रैमासिक)

1. विज्ञान गरिमा सिंधु 2. ज्ञान गरिमा सिंधु

सदस्यता शुल्क (उपर्युक्त दोनों के लिए)

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
• व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	रु. 14/-	पौंड 1.64	डालर 4.84
• वार्षिक शुल्क	रु. 50/-	पौंड 5.83	डालर 18.00
• छात्रों के लिए प्रति कॉपी	रु. 8/-	पौंड 0.93	डालर 10.80
• वार्षिक शुल्क	रु. 30/-	पौंड 3.50	डालर 2.88

बिक्री संबंधी नियम

1. आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध रहते हैं।
2. सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75 प्रतिशत तक भी छूट दी जाती है।
3. सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी किया जाता है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman, C.S.T.T., New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं होगा। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं।
4. चार किलोग्राम वजन तक की सभी पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैकिंग तथा फॉर्मिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
5. चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें सड़क परिवहन से भेजी जाती हैं तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन-व्ययों का भुगतान मांगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।
6. पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान मांगकर्ता को ही करना होगा।
7. सड़क परिवहन से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके स्वयं पुस्तकें प्राप्त कर सकती है।
8. दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं होगी। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होंगी।

95

9. पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। यदि परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचता है तो उसका दायित्व आयोग पर नहीं होगा।
10. सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकों की वापसी नहीं होगी। यदि क्रय राशि का समायोजन आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में अन्य पुस्तकें ही दी जाएंगी।
11. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के बिक्री केंद्रों की सूची -
 1. किताब महल, प्रकाशन विभाग
बाबा खड्ग सिंह मार्ग, स्टेट एंपोरियम बिलिंग
यूनिट नं. 21, नई दिल्ली-110001
 2. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
उद्योग भवन, गेट नं.-3, नई दिल्ली-110001
 3. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, न्यू मेरीन लाइन्स
मुंबई-400020
 4. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
दिल्ली उच्च न्यायालय, (लॉयर चैंबर)
नई दिल्ली-110003
 5. पुस्तक डिपो, प्रकाशन विभाग
के. एस. राय मार्ग, कोलकाता-700001
12. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -

प्रभारी अधिकारी (बिक्री)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

परिचमी खंड-7, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

© भारत सरकार
नियंत्रक प्रकाशन

पी.सी.एस.टी.टी. 2(10 - 12) 2013

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार

Commission for Scientific and Technical Terminology

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

Government of India



Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054